मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013–2014

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वर्ष 2013–2014

प्रभारी मंत्री	**श्री जयंत मलैया**
अपर मुख्य सचिव	श्री अजय नाथ
प्रमुख सचिव	श्री आशीष उपाध्याय
प्रमुख सचिव	श्री प्रमोद अग्रवाल
सचिव	श्री मनीष रस्तोगी
संचालक, बजट	श्री श्रीमन शुक्ला
अपर सचिव	श्री मिलिन्द वाईकर
उप सचिव	सुश्री सुषमा शर्मा
उप सचिव	श्री प्रदीप उपाध्याय
उप सचिव	श्री वीरेन्द्र कुमार
उप सचिव	श्री जितेन्द्र सिंह
उप सचिव	श्री अजय चौबे
अवर सचिव	श्रीमती श्रृंखला संगीने
अवर सचिव	श्री एन.डी.ताराचंदानी
अवर सचिव	श्री शिवलखन राम दुबे
अवर सचिव	श्री राजेश सिंह
अवर सचिव	श्री शक्ति शरण
संचालनालय	**संचालक**
आयुक्त सह विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी संस्थागत वित्त	श्री आशीष उपाध्याय
आयुक्त, कोष एवं लेखा	श्री मनीष रस्तोगी
संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	श्री श्रीमन शुक्ला
संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा	श्री वरूण वर्मा
संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा	श्री वरूण वर्मा
निगम/कम्पनी/मण्डल	**प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ सदस्य**
मध्यप्रदेश वित्त निगम	डॉ.¼श्रीमती½ मधु खरे
प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	श्री के. डी. मेनन
मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान बोर्ड	श्री आशीष उपाध्याय

अनुक्रमणिका

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
I.		**वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना**	
	1.1	विभागीय भूमिका	1
	1.2	संरचना	4
	1.3	विभागाध्यक्ष	4
	1.4	निगम / मण्डल / कम्पनी / आयोग	4
2.		**संचालनालय, कोष एवं लेखा**	
	2.1	सामान्य जानकारी	5
	2.2	अधीनस्थ कार्यालय	5
	2.3	अमला	5–6
	2.4	मुख्य दायित्व	6–7
	2.5	उपलब्धियॉ	8
3.		**संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा**	
	3.1	सामान्य जानकारी	15
	3.2	अमला	15–16
	3.3	संपरीक्षा शुल्क	16–17
	3.4	प्रशिक्षण	17
	3.5	परीक्षाऐं	17
	3.6	संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपण एवं प्रसारण	17–18
	3.7	संपरीक्षा कार्य	18–19
	3.8	त्रिस्तरीय पंचायतों क`लेखों की संपरीक्षा	19
	3.9	प्रभक्षण	19
	3.10	अधिभार	20
	3.11	अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के संबंध में	20
	3.12	सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 का क्रियान्वयन	21
	3.13	राज्य की महिला नीति एवं कार्य योजना	21
		परिशिष्ट–1	22

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ कमांक
4.		**संचालनालय, संस्थागत वित्त**	
	4.1	सामान्य जानकारी	23
	4.2	अधीनस्थ कार्यालय व अमला	24
	4.3	बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई	24–26
	4.4	राज्य ब्रिस्क योजना	26–27
	4.5	म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000	27
	4.6	मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन	28
	4.7	प्रदेश में बैकिंग क्षेत्र की स्थिति	28–30
	4.8	जन–निजी भागीदारी के माध्यम से अधोसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन	30
	4.9	महिला नीति का क्रियान्वयन	30
5.		**संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि तथा बीमा**	
	5.1	विभागीय संरचना	31
	5.2	अमला	31–32
	5.3	पेंशन संचालनालय के दायित्व	32–33
	5.4	पेंशन प्रकरणों की प्रगति	34
	5.5	पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण	34–35
	5.6	पेंशन कार्य का अंकेक्षण	35
	5.7	पेंशनर कल्याण मण्डल	35
	5.8	पेंशन कल्याण कोष	35–36
	5.9	जिला पेंशनर फोरम	36
	5.10	नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना	36–37
6.		**संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली**	
	6.1	संचालनालय की संरचना	38
	6.2	संचालनालय के दायित्व	38
	6.3	संचालनालय से संबंधित सामान्य जानकारी	38–40
	6.4	अमला	41
7.		**मध्यप्रदेश वित्त निगम**	
	7.1	सामान्य जानकारी	42
	7.2	संगठन का ध्येय एवं उद्देश्य	42–44
	7.3	उपलब्धियॉ	44–45
	7.4	राज्य में पूंजी विनिवेश	45
	7.5	सुधार के प्रयास	46
	7.6	निगम व्दारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदम	46

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
8.		**प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड**	
	8.1	सामान्य जानकारी	47
	8.2	उद्देश्य	47
	8.3	कम्पनी की वित्तीय स्थिति	47
9.		**मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड**	
	9.1	मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड	48
10.		**राज्य वित्त आयोग**	
	10.1	राज्य वित्त आयोग	49
11.		**विभागाध्यक्षों के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय**	
	11.1	संचालनालय,कोष एवं लेखा	50
	11.2	संचालनालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा	50
	11.3	संचालनालय,संस्थागत वित्त	50
	11.4	संचालनालय,पेंशन भविष्य निधि तथा बीमा	50
	11.5	संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	50
12.		**सामान्य प्रशासनिक विषय**	51
13.		**अभिनव योजना नवाचार**	
	13.1	PRAN Generation हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था	52
	13.2	एस–1 फार्म का सेवापुस्तिका में संलग्नीकरण	52
	13.3	प्रतिनियुक्ति पर कटोत्रा का समायोजन	52
	13.4	मिसिंग क्रेडिट व्यवस्था	53
	13.5	त्रृटिपूर्ण एनपीएस कटौत्रा को जीपीएफ में समायोजन की प्रक्रिया	53
	13.6	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु एनपीएस का क्रिन्यान्वयन	53
	13.7	वित्तीय अधिकारों की नवीन पुस्तिका का प्रकाशन	53
	13.8	**New Item** में संशोधन संबंधी विषयः	54
	13.9	केन्द्रीयकृत बजट आबंटन प्रणाली	54
	13.10	मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में उपकोषालय की स्थापना	54
	13.11	राज्य वित्त आयोग का गठन	54
14.		**विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश**	55
15.		**सारांश**	56–57

भाग एक

विभाग की संरचना एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों से संबंधित जानकारी

अध्याय–1

वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना

1.1 **विभागीय भूमिका** :–मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशो/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

11 **(एक)** कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्ही भी आदेशों को (वित्त विभाग व्दारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोडकर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों व्दारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो–

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हो, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पटटा या अनुज्ञप्ति या जल, विघुत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अंतर्वलित हो, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अंतर्वलित हो,

(घ) सरकार व्दारा कोई गारंटी दिये जाने संबंधी हो,

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर,जिस पर इस नियम के उप–नियम(एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद व्दारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो,

(तीन) कोई भी पुर्नविनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग व्दारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जायेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग व्दारा किये गये हो, अन्यथा नहीं,

(चार) उस सीमा के सिवाय, जिस सीमा तक कि वित्त विभाग व्दारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्रवर्तित की जाने वाली मंजूरी संप्रेषित की गई हो, वित्त विभाग द्वारा अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को संसूचित किया जाना चाहिए,

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को विनियोग अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

26. वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यो का प्रभारी रहेगा :–

(एक) वह, शासन व्दारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा ओर ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा,

(दो) वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिए तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा,

(तीन) वह, करों, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्वि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा,

(चार) वह, राज्य व्दारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गये हो, और वह ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा,

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिए समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है, और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं व्दारा उपयुक्त लेखे रखे जाते है।

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी होगा,

(सात) बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में,

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री, जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा.

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिए, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इंकार करेगा,

(घ) वह, विधान मण्डल व्दारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य की संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष यथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्याप्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिए या आगे व्यय नहीं करने के लिए अपेक्षा करेगा,

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा,

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा,

उक्त कार्यो के अतिरिक्त वित्त विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय निम्नानुसार है :–

1. राज्य की संचित निधि
2. राज्य की आकस्मिकता निधि
3. राज्य का लोक लेखा
4. राज्य का लोक ऋण
5. वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रारूप तथा विषयवस्तु, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और आपवादिक अनुदान और बजट प्रक्रिया से संबंधित सभी विषय
6. विनियोग बिल
7. पुनर्विनियोग
8. अकाल सहायता निधि
9. प्राकृतिक आपदा सहायता निधि का गठन,उसमें धन का विनियोग और उससे धन के प्रत्याहरण का प्राधिकरण
10. अर्थोपाय व्यवस्था
11. संसाधन
12. वित्तीय संसाधन बढाने संबंधी सामान्य नीति
13. वित्त आयोग
14. स्थानीय निकायों के ऋण और अग्रिम धन
15. विनियोग लेखाओं, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति से संबंधित या उनसे उद्‌भूत होने वाले विषय
16. चलार्थ, टंकण और मान्य सिक्का, विदेशीय विनियम
17. महाजनी (बैंकिग) और महाजनी (बैंकिग) समवाय
18. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा
19. संघ निवृत्ति वेतन
20. राज्य निवृत्ति वेतन तथा निवृत्ति वेतन नियम
21. निवृत्ति वेतन का एक मुश्त दान
22. अनुकम्पा निधि
23. अल्प बचत योजना
24. कोषागार
25. व्यय नियंत्रण संबंधी नियम और विनियोग इकाईयों के संबंध में विनिर्धारण
26. वर्तमान मूल नियमों और उसके अधीन सहायक नियमों के तत्स्थानी नियम

27. भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 (2) और 284 के अधीन निधि और नियम, समस्त निधियों की अभिरक्षा सुरक्षा और उनको उचित रूप से काम में लाने के विनियामक सहायक नियम
28. वित्तीय प्रक्रिया के विनियामक नियम और वाणिज्य लेखाओं को सम्मिलित करते हुए लेखा रखने संबंधी समस्त नियम
29. भविष्य निधि नियम
30. वाहन, गृह निर्माण और अन्य विधि अग्रिम धन के और इस प्रयोजन के लिये निधियों के आवंटन के विनियामक नियम
31. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा संबंधित मामले
32. अन्तर्राष्ट्रीय तौर से सहायित परियोजनाओं का परिवीक्षण
33. संस्थागत वित्त

33–क अधोसंरचना में जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership)

33–ख बीमा

1.2 **संरचना**:–बजट कार्य के लिए विभाग में नौ बजट शाखाएं (डेब्ट मैनेजमेंट सेल सहित) है। इन बजट शाखाओं के मध्य विभागवार बजट बनाने का कार्य आंबटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है। प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत/परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है। डेब्ट मैनेजमेंट सेल में शासन के ऋणों का संधारण किया जाता है। आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई व्दारा वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित कार्य सम्पादित किया जाता है।

1.3 विभागाध्यक्ष :–

विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित विभागाध्यक्ष कार्यरत है :–

1. संचालनालय, कोष एवं लेखा
2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा
3. संचालनालय, संस्थागत वित्त
4. संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली

1.4 **निगम/मण्डल/कम्पनी/आयोग**:– विभाग के अंतर्गत निम्न निगम/कम्पनी/बोर्ड/आयोग कार्यरत है :–

1. मध्यप्रदेश वित्त निगम,
2. प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड,
3. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान बोर्ड
4. राज्य वित्त आयोग

अध्याय 2
संचालनालय, कोष एवं लेखा

2.1 सामान्य जानकारी

संचालनालय, कोष एवं लेखा, म0प्र0 की स्थापना 2 अप्रैल 1964 को हुई थी। आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय कोष एवं लेखा के विभागाध्यक्ष हैं। संचालनालय की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, एवं वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा का प्रबंधन आदि शामिल है।

2.2 अधीनस्थ कार्यालय

राज्य पुनर्गठन के पश्चात संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीनस्थ 07–संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा कार्यालय, 07–लेखा प्रशिक्षण शालायें, 56–कोषालय तथा 156 उप कोषालय हैं।

2.3 अमला

संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन तालिका 2.1 में दर्शाये गये पद स्वीकृत है :–

तालिका 2.1

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुये पद
1	आयुक्त	भारतीय प्रशासनिक सेवा, सुपर टाईम स्केल	01	01
2	अपर संचालक	म0प्र0 वित्त सेवा, प्रथम श्रेणी	02	02
3	संयुक्त संचालक	म0प्र0 वित्त सेवा, प्रथम श्रेणी	11	06
4	उप संचालक/वरिष्ठ कोषालय अधिकारी	म0प्र0 वित्त सेवा, प्रथम श्रेणी	29	26
5	सहायक संचालक/ अतिरिक्त कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी/प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, परिवीक्षाधीन अधिकारी	म0प्र0 वित्त सेवा, द्वितीय श्रेणी	99	93 03

स.क.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुये पद
6	तथ्यांक प्रशासक	म0प्र0 कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा, द्वितीय श्रेणी तकनीकी	09	03
7	सहायक प्रोग्रामर	म0प्र0 कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा, तृतीय श्रेणी तकनीकी	57	37
8	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, संचालनालय,कोष एवं लेखा, म0प्र0 भोपाल	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, तृतीय श्रेणी	18	18
9	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, तृतीय श्रेणी	60	55
10	सहायक कोषालय अधिकारी	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, तृतीय श्रेणी	122	87
11	उप कोषालय अधिकारी	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, तृतीय श्रेणी	96	59
12	व्याख्याता, लेखा प्रशिक्षण शाला	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, तृतीय श्रेणी	08	08
13	शीघ्र लेखक ग्रेड–1	द्वितीय श्रेणी	01	01
14	शीघ्र लेखक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	02	02
15	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	08	03
16	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	04	00
17	लेखा सहायक	तृतीय श्रेणी	176	127
18	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	638	486
19	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	764	487
20	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	12	10
21	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	46	45
22	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	408	306
23	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	08	08
24	जमादार	चतुर्थ श्रेणी	01	01
25	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	01	01

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश वित्त सेवा तथा मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के संवर्गो का पुनरीक्षण किया जाकर क्रमशः 690 तथा 1087 पद स्वीकृत किये गये है।

2.4 मुख्य दायित्व

(i) **कोष प्रचलन :–** राज्य के 56 कोषालय तथा 156 उप कोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष एवं लेखा के अन्तर्गत है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा

म0प्र0 कोष संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

(ii) **कोष निरीक्षण :–** प्रदेश के सभी कोषालयों तथा उप कोषालयों का म0प्र0 कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

(iii) **वेतन निर्धारणः–** राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच का दायित्व संचालनालय कोष एवं लेखा के अधीन है।

(iv) **आंतरिक लेखा परीक्षण :–** प्रदेश के शासकीय कार्यालयों का लेखा परीक्षण महालेखाकार म0प्र0 द्वारा किया जाता है, किन्तु कार्यालयों के आंतरिक लेखा परीक्षण के लिये संचालनालय कोष एवं लेखा में एक आडिट शाखा स्थापित है। भोपाल स्थित एवं भोपाल के बाहर विभागाध्यक्ष कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण, संचालनालय द्वारा किया जाता है तथा अन्य जिला कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(v) **संवर्ग प्रबंधन** :– म0प्र0 अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन संचालनालय द्वारा किया जाता है। सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड–1 (कोषालयीन लिपिक सेवा) की सेवायें राज्य स्तरीय सेवाये है जिसका संवर्ग प्रबंधन भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(vi) **लेखा :–** कोषालयों द्वारा मासिक लेखे तैयार कर महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर को प्रेषित किये जाते हैं। समय–सीमा में लेखाओं के प्रेषण का पर्यवेक्षण भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(vii) **लेखा प्रशिक्षण :–** राज्य के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए 07 लेखा प्रशिक्षण शालायें स्थापित हैं। लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संबंधित कर्मचारियों की परीक्षा ली जाती है एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रकार राज्य के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(viii) **विभागीय प्रशिक्षण** :– संचालनालय कोष एवं लेखा के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन नीतियों एवं गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका प्रबंधन संचालनालय कोष एवं लेखा के प्रशिक्षण शाखा द्वारा किया जाता है।

2.5 उपलब्धियां :–

(i) **वेतन निर्धारण :–** राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.1.2006 से छठा वेतनमान लागू किया गया। विभाग द्वारा निरन्तर वेतन निर्धारण प्रकरणों की जांच की जाती रहीं है। प्रकरणों के निराकरण के लिए संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा समय–समय पर वेतन निर्धारण शिविरों का भी आयोजन किया गया है, इसका परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश कर्मचारियों के वेतन निर्धारण अनुमोदित किये गये है, जिससे लंबित वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या में कमी आ रहीं है।

विगत 3 वर्षो में निराकृत वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या तालिका–2.2 में दी गई है :–

तालिका 2.2

वर्ष	वेतन निर्धारण प्रकरण
2011–2012	69835
2012–2013	55796
2013–2014	38628

(ii) **कोष निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण :–** गत तीन वर्षों में संचालनालय, कोष एवं लेखा अंतर्गत आने वाले कोषालयों/उप कोषालयों में किये गये कुल निरीक्षण, तथा विभिन्न विभागों के आंतरिक अंकेक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित विशेष अंकेक्षण की स्थिति तालिका 2.3 में दर्शायी है।

तालिका 2.3

वर्ष	अंकेक्षण	विभागीय निरीक्षण	विशेष अंकेक्षण
2011–2012	62	157	30
2012–2013	78	148	42
2013–2014	107	218	73

(iii) **लेखा प्रशिक्षण शाला :–**

(1) लेखा प्रशिक्षण शाला की परीक्षा वर्ष में 3 बार क्रमशः फरवरी, जून एवं अक्टूबर माह में आयोजित की जाती है। आयोजित परीक्षाओं में वर्ष 2013–2014 में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या तालिका 2.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
फरवरी, 2013	169	96
जून, 2013	193	111
अक्टूबर, 2013	193	73

(2) मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग–1 में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या :–

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
दिसम्बर–2013	293	106

(3) मध्यप्रदेश वित्त सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग–2 में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सीधी भरती से सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या :–

वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
दिनांक 22.4.13 से 29.4.13	11	11

(iv) **प्रशिक्षण :–** म0प्र0 प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में आयोजित विभागीय प्रशिक्षण के अंतर्गत वर्ष 2013–2014 में 163 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद में 05 वित्त सेवा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ASCI) हैदराबाद में 30 तथा लेखा प्रशिक्षण शाला, भोपाल में 61 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

(v) **संवर्ग प्रबंधन** :– संचालनालय,कोष एवं लेखा के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है। विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की पदोन्नति/ क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान की कार्यवाही कर पात्र अधिकारियों/ कर्मचारियों को पदोन्नति एवं क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है।

(vi) **कोषालयीन लेखों का संधारण एवं प्रेषण** :– कोषालयों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रथम तथा द्वितीय अनूसूची के रूप में क्रमशः उसी माह की 17 एवं अगले माह 08 तारीख को भेजे जाते हैं। प्रदेश के सभी कोषालयों द्वारा लेखे नियमित भेजे जा रहे हैं। यहां उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल, 2004 से सभी कोषालयों द्वारा कम्प्यूटर जनरेटेड लेखे (मय सी.डी.) महालेखाकार को भेजे जा रहे हैं।

(vii) **सूचना का अधिकार :–** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संचालनालय, कोष एवं लेखा के कार्य को जनता के प्रति जवाबदेय, उत्तरदायी एवं पारदर्शी प्रशासन बनाये रखने के लिये अधिनियम के प्रावधाननुसार लोक सूचना अधिकारी

एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। संभाग एवं जिला स्तर के कार्यालयों में भी लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्तियां की जा चुकी है। शिकायतों के निराकरण तथा उस पर समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार अपीलीय अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गयी हैं।

संचालनालय, कोष एवं लेखा की सूचना का अधिकार से संबंधित समस्त जानकारियां, संचालनालय की बेवसाइट–www.mptreasury.org पर उपलब्ध कराई गई हैं

(viii) **<u>महिला नीति :–</u>**

म0प्र0 की महिला नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सहायक संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा को विभाग का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

(ix) **<u>एकीकृत कोषालीयन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना :–</u>**

(1) मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधीन संचालनालय, कोष एवं लेखा में कम्प्यूटीकृत राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली से समस्त 56 कोषालय एवं 156 उपकोषालय तथा 07 संयुक्त संचालक कार्यालय एवं 51 पेंशन कार्यालय जुडे हुये है। इस प्रणाली के अंतर्गत विकसित साफ्टवेयर के तहत 01 अप्रैल 2004 से समस्त कोषालय/उप कोषालय में कोष लेखा से संबधित प्रक्रियाओं का संपादन किया जा रहा है। परियोजना को 10th National conference on e-governance अंतर्गत Gold Icon National award for e-governance प्राप्त हुआ है। SFMS को दिनांक 19.11.2011 से केन्द्रीयकृत किया जाकर सी–.एस.एफ.एम.एस. लागू किया गया।

सी–.एस.एफ.एम.एस. लागू होने से अब 56 कोषालयों में स्थापित सर्वरों के स्थान पर केवल भोपाल में कोष एवं लेखा संचालनालय में सेंट्रल सर्वर पर संपूर्ण कार्य सम्पादित हो रहा है। सिस्टम की उपलब्धता 24 x 7 हुई है। केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत प्राथमिक नेटवर्क के रूप में MPSWAN का एवं बैक–अप के रूप में VPNoBB का उपयोग किया जा रहा है। सिस्टम अप–टाईम लगभग शत–प्रतिशत रहा है।

सी.एस.एफ.एम.एस. लागू होने से प्रभावी वित्तीय नियंत्रण, सुदृढ+ कोषालयीन प्रणाली, सूचना प्रबंधन प्रणाली, शासकीय कर्मचारियों का डाटाबेस, व्यवसायिक एवं सायबर

ट्रेजरी में सुचारू रूप से कार्य संपादन हो रहा है। समय–समय पर निम्नांकित सुविधायें इसके अन्तर्गत जोडी गई है :–

(2) बजट प्रक्रिया –

वित्त विभाग द्वारा विभागों को जारी बजट तथा विभागों द्वारा आहरण अधिकारियों को जारी बजट सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से कोषालयों को प्रेषित किये जा रहे है जिससे बजट आबंटन की सीमा तक व्यय हो रहा है। बजट नियंत्रण अधिकारी से आहरण अधिकारी को बजट आबंटन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये ग्लोबल बजट प्रणाली लागू की गई। वेतन भत्तो से संबंधित बजट शीर्षो के साथ–साथ जिन बजट शीर्षो को ग्लोबल करने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा आदेश दिये जाते हैं वह समस्त बजट शीर्षो ग्लोबल किये गये है। जिसके अन्तर्गत किसी भी आहरण अधिकारी द्वारा आहरित देयक की राशि सीधे बी.सी.ओ. के पास उपलब्ध राशि से व्यय होती है। इस प्रक्रिया से समय/श्रम/धन की बचत हुई है तथा बचत/समर्पण आसान हुआ है।

(3) सुदृढ कोषालयीन प्रणाली –

कोषालय में प्रस्तुत समस्त आहरणों का परीक्षण, लेखा संधारण,पेंशन प्राधिकारों का निर्गमन, स्टाम्प संधारण, व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण इत्यादि कार्य कोषालय में संधारित डाटाबेस से पुष्टि कर किया जा रहा है।

(4) सूचना प्रबंधन प्रणाली –

राज्य के आय–व्यय की अद्यतन वर्गीकृत जानकारी वेबसाईट www.mptreasury.org व mptreasury.gov.in पर उपलब्ध होने से विभिन्न नीतिगत निर्णय लिये जाने में सहायता मिली है। विभाग की वेबसाईट पर विभागीय संरचना, वित्त एवं लेखा प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन नियम निर्देशों की जानकारी के साथ आय एवं व्यय की वर्गीकृत जानकारी, बजट आबंटन की अद्यतन स्थिति, जमा कराये गये चालानों का विवरण, सूचना के अधिकार का ब्यौरा इत्यादि संधारित है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के उपयोग हेतु पी.पी.ओ. की अद्यतन स्थिति, कोषालय बिल की अद्यतन स्थिति तथा राज्य के समस्त कर्मचारियों की वेतन पर्ची भी उपलब्ध है।

(5) शासकीय कर्मचारियों को डाटाबेस –

परियोजना में प्रदेश के समस्त 4,68,500 नियमित कर्मचारियों के एम्प्लाई, पे–रिकार्ड तथा पोस्ट डाटाबेस संधारित किये गये है तथा लगभग 4,65,000 से अधिक नियमित कर्मचारियों के वेतन देयक कोषालय में कम्प्यूटर से जनरेट किये जा रहे है।

समस्त सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांकों को महालेखाकार द्वारा डेटाबेस से जोडा जा चुका है। जिससे जी.पी.एफ. जमा राशियों में विसंगतियों को न्यूनतम किया जा सकेगा।

(6) परियोजना अंतर्गत विकसित की गई वेवसाईट :–

विभाग की वेबसाईट www.mptreasury.org संचालित है। बेवसाईट पर विभागवार, डी.डी.ओ. वार. शीर्ष वर्गीकरण वार आबंटन एवं व्यय की जानकारी उपलब्ध है, जिसका उपयोग राज्य शासन के विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्षों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। वेबसाईट पर किसी कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर अथवा वेण्डर को शासन को किये गये ई–भुगतानों की जानकारी उसके खाते क्रमांक के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। शासन के पक्ष में जमा की गई राशियों से संबंधित चालानों का विवरण बेवसाईटों पर उपलब्ध है।

(7) साईबर ट्रेजरी :–

विभाग द्वारा शासन के पक्ष में जमा की जाने वाली राशियों को अधिकाधिक ई–प्राप्तियों के माध्यम से जमा करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग की बेवसाईट , www.mptreasury.org पर साईबर ट्रेजरी के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित राशियां आनलाईन जमा की जा सकती है। साईबर ट्रेजरी के अंतर्गत वर्तमान में 10 बैंकों तथा वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग और रजिस्टार फर्म्स एवं सोसायटी को जोडा गया है।

(8) टेलीफोन/विद्युत कनेक्शन डेटाबेस का निर्माण :–

बी0एस0एन0एल0 एवं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी को ई–पेमेंट के माध्यम से सुचारू रूप से प्रतिमाह भुगतान किया जाता है।

(9) ऑन लाईन बिल प्रस्तुतीकरण :–

केन्द्रीयकृत राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अन्तर्गत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को एम0पी0 स्वान/ VPNoBB कनेक्टिविटी के द्वारा सिस्टम में स्थित पे

रिकार्ड, एम्पलाई डाटाबेस की सहायता से वेतन देयकों को कोषालयों में ऑन लाईन जनरेट एवं प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने कोषालयों में सहायता अनुदान, कार्यालय व्यय एवं अन्य देयक ऑन लाईन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

(10) <u>दैनिक वेतन भोगी, गैंगमेन आदि कर्मचारियों का डाटाबेस</u>:–

परियोजना अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगी, गैंगमेन आदि कर्मचारियों के एम्पलाई डाटाबेस अनुसार ही 81 हजार से अधिक दैनिक वेतन भोगी, गैंगमेन आदि कर्मचारियों का डाटाबेस संधारित किया जा रहा है। गत वित्त वर्ष से इन कर्मचारियों का मासिक वेतन इस डाटाबेस के आधार से करना प्रारंभ किया गया है।

(11) <u>ई–भुगतान प्रणाली</u> :–

वर्तमान कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन प्रणाली से ई–भुगतान प्रारंभ किया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत म0प्र0 के समस्त कोषालयों से एजेन्सी बैंक द्वारा दी गई कार्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुये तत्काल राशि प्राप्तकर्ता के खाते में जमा हो जाती है। इस प्रणाली से मानव श्रम तथा शासकीय व्यय की कमी के साथ–साथ चेक के माध्यम से भुगतान में होने वाले विलंब को लगभग शून्य कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2013–2014 में कोषालयों में प्राप्त कुल देयकों का 94 प्रतिशत तथा भुगतान राशि का 95 प्रतिशत ई–भुगतान से किया गया है। इस हेतु लगभग 25 लाख वेण्डर्स का डेटाबेस तैयार किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एक चेरीटेबल ट्रस्ट के रूप में मान्य स्कॉच डेवलपमेंट फाउण्डेशन द्वारा दिनांक 18–9–2012 को स्कॉच डिजीटल इन्क्लूजन अवार्ड समारोह, नईदिल्ली में राज्य को स्टेट ऑफ दी ईयर अवार्ड दिया गया। इसके प्रशस्ति पत्र में ई–पेमेंट फंक्शनलिटी को पृथक से गोल्ड अवार्ड दिया गया है। दिनांक 31–3–2014 तक 4.62 करोड़ ट्रांजेक्शन एवं रूपये 1642 अरब 76 करोड़ का भुगतान इस प्रणाली से हुआ है। उक्त व्यवस्था से सभी 11000 से अधिक डी0डी0ओ0 जुड़े हुए हैं।

(12) IFMIS परियोजना :–

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा कोषालयीन प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 01–10–2003 से एकीकृत कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना (आई0टी0सी0पी0) लागू किया गया। उक्त परियोजना के अनुभवों तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुये समेकित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह परियोजना योजना, बजट, व्यय एवं लेखांकन की व्यापकता को एकीकृत कर प्रभावकारी वित्त प्रबंधन में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन के कर्मचारियों एवं पेंशनरों का प्रबंधन करने में भी यह परियोजना सहायक होगी। इस परियोजना के लागू होने से वित्तीय एवं मानव संसाधन प्रबंधन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आएगा।

परियोजना का संचालन संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के महत्वपूर्ण हितधारक – संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, संचालनालय कोष एवं लेखा, पेंशन संचालनालय, संचालनालय संस्थागत वित्त, महालेखाकार, सार्वजनिक लोक उपक्रम, वित्तीय संस्थायें, समस्त विभागीय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, कोषालय, उप कोषालय, लेखा प्रशिक्षण शालायें, व्यापारी फर्म कर्मचारी, पेंशनर्स एवं आम नागरिक होंगें।

अध्याय 3

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा

3.1 सामान्य जानकारी :–

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा की स्थापना दिसम्बर 1955 में करते हुये इस संचालनालय को महालेखाकार कार्यालय द्वारा संपादित कार्य स्थानांतरित किये गये। नगरीय निकायों तथा पंचायतराज से संबंधित अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1973 में म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा, अधिनियम 1973 एवं इसके अधीन म.प्र. स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम 1974 प्रभावशील किये गये है।

इस संचालनालय द्वारा संपरीक्षित निकायों की जानकारी परिशिष्ट–एक पर दर्शित है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में संचालनालय द्वारा 31 मार्च, 2014 तक 844 स्थानीय निकायों की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई तथा 76 स्थानीय निकायों के लेखों की संपरीक्षा आवासीय संपरीक्षा प्रणाली से संपन्न हो रहीं है। संचालनालय द्वारा संपरीक्षा उपरांत स्थानीय निकाय को जारी किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं के साथ–साथ महत्वपूर्ण गंभीर प्रकृति की आपत्तियों की ओर राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों के संबंधित उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.–1(सी)/1/2006/ई/चार, भोपाल, दिनांक 05.05.2006 से स्थानीय निकायों के लंबित संपरीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक कुल 12228 आपत्तियों का निराकरण कराया गया है।

3.2 स्वीकृत अमले की स्थिति :–

इस संचालनालय के अन्तर्गत 01, संचालनालय प्रकोष्ठ भोपाल 07, उप संचालक क्षेत्रीय कार्यालय (ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा एवं उज्जैन) संचालित है।

संचालनालय के स्वीकृत वर्तमान स्थिति में एवं कार्यरत अमले की दिनांक 31.03. 2014 की स्थिति इस प्रकार है:–

क्र.	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	संचालक	01	01	—	संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को अतिरिक्त प्रभार
2	संयुक्त संचालक	03	01	02	—
3	उप संचालक	19	10	09	उक्त 09 पदों के विरूद्ध 01 उप संचालक कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर संचालनालय, ग्वालियर में कार्यरत
4	सहायक संचालक	82	47	35	उक्त 35 पदों के विरूद्ध 06 कर्मचारी तिलहन संघ के एवं 01 सहायक संचालक म.प्र. कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
5	ज्येष्ठ संपरीक्षक / जिला अंकेक्षक	287	260	27	उक्त 27 पदो के विरूद्ध 10 कर्मचारी तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
6	सहायक संपरीक्षक / उप अंकेक्षक	542	239	303	—
7	कार्यालय अधीक्षक	01	निल	01	—
8	मुख्य लिपिक	07	06	01	—
9	शीध्रलेखक	02	01	01	उक्त पद के विरूद्ध तिलहन संघ की 01 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
10	रोकड़िया	01	01	निल	—
11	सहायक ग्रेड–दो	36	24	12	—
12	सहायक ग्रेड–तीन	92	58	34	उक्त 34 पदों के विरूद्ध 04 कर्मचारी तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
13	सहायक ग्रेड–तीन संविदा आधारित	100	निल	100	संविदा आधारित सहायक ग्रेड–तीन पद पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
14	आशुलिपिक	04	02	02	—
15	गणक	01	निल	01	—
16	सुपरवाईजर	01	01	निल	—
17	दफ्तरी	01	01	निल	—
18	भृत्य सह फर्राश	98	71	27	उक्त 27 पदों के विरूद्ध 08 कर्मचारी तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
19	प्रोसेस सर्वर	04	01	03	—
20	वाहन चालक (नियमित वेतनमान)	02	01	01	उक्त पद के विरूद्ध 01 कर्मचारी तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
21	चौकीदार	08	03	05	01 चौकीदार कंटेंजेंसी नियमित वेतनमान में एवं 02 चौकीदार जिलाध्यक्ष दर पर कंटेंजेसी पर कार्यरत है।
	योग	**1292**	**728**	**564**	

3.3 संपरीक्षा शुल्क :–

संचालनालय, द्वारा स्थानीय निकायों की संपरीक्षा किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित दर से संपरीक्षा शुल्क अधिरोपित की जाती है जो राज्य शासन के राजस्व का

एक अंग है । दिनांक 31.03.2014 तक संपरीक्षा शुल्क जमा एवं अवशेष की स्थिति इस प्रकार है :–

क्र.	विवरण	राशि
1	2	3
1	दिनांक 31.03.2013 को अवशेष	1,53,08,96,495.00
2	वर्ष 2013–14 में अधिरोपित संपरीक्षा शुल्क	58,22,26,569.00
3	कुल मांग	2,11,31,23,064.00
4	वर्ष 2013–14 में कुल वसूली	36,24,63,793.00
5	अवशेष राशि (31.03.2014)	1,75,06,59,271.00

3.4 प्रशिक्षण :–

संचालनालय के अधिकारियों एंव कर्मचारियों को समय–समय पर म.प्र. आर.सी. व्ही. पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल मे संपरीक्षा एवं सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान विषयों पर 02 प्रशिक्षण कराये गये है जिसमे विभाग के 54 अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया है। इसी प्रकार विभागीय तौर पर परामर्शदात्री समिति एवं विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर सुझाव एवं जानकारियां दी जाती रहीं हैं।

3.5 परीक्षाऐं :–

संचालनालय द्वारा अप्रेल, 2013 से मार्च, 2014 तक अधीनस्थ लेखा सेवा भाग एक व भाग दो की परीक्षाऐं आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार कर्मचारी सम्मिलित हुये :–

क्रमांक	परीक्षाऐं	सम्मिलित परीक्षार्थी	अन्य विवरण
1.	राजपत्रित सेवा के (परि.) अधिकारियों की परीक्षा भाग–एक	17	दिनांक 03.06.2013 से 07.06.2013
2.	राजपत्रित सेवा के (परि.) अधिकारियों की परीक्षा भाग–दो	11	दिनांक 03.06.2013 से 07.06.2013
3.	म.प्र.अधीनस्थ लेखा सेवा भाग–दो	32	दिनांक 03.09.2013 से 07.09.2013

3.6 संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपण एवं प्रसारण के संबंध में :–

संचालनालय के पश्चातवर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा दलों द्वारा स्थानीय निकायों के लेखों का अंकेक्षण संपादित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है। इन संपरीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण एवं अनुमोदन म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित बजट सीमा के परिप्रेक्ष्य में सबंधित अधिकारी द्वारा किया जाता हैं इस अनुमोदन के उपरांत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से इस प्रतिवेदन को स्थानीय निकाय को प्रसारित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त एवं प्रसारण की जानकारी निम्नानुसार है :–

पूर्व वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन	वर्ष में प्राप्त	कुल	प्रसारित प्रतिवेदन	अवशेष
34	612	646	616	30

3.7 संपरीक्षा कार्य :–

म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा इस संचालनालय के संपरीक्षाधीन स्थानीय निकायों की आवासीय संपरीक्षा प्रणाली की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रदेश की बड+ी–बड+ी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिक निगम, विश्वविद्यालयों बृहद आय–व्यय वाली नगर पालिकायें, विकास प्राधिकरण, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाठय पुस्तक निगम एवं ''अ'' वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियां इस प्रकार कुल 76 इकाईयों में आवासीय संपरीक्षा प्रणाली को प्रभावशील किया गया है। इस संपरीक्षा प्रणाली में संपरीक्षा दल उसी निकाय में पदस्थ रहता है, एवं समस्त व्यय को भुगतान होने से पूर्व ऐसे देयकों की संपरीक्षा सम्पादित करता है। इस प्रकार गठित आवासीय संपरीक्षा दल का पर्यवेक्षण सहायक संचालकों द्वारा किया जाता है। प्रदेश की अन्य स्थानीय निकायों के लेखों की संपरीक्षा पश्चातवर्ती संपरीक्षा प्रणाली से सम्पादित की जाती है। इस प्रणाली में संपरीक्षा दल में सामान्यतः एक ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं दो सहायक संपरीक्षक पदस्थ होते है। यह संपरीक्षा दल एक स्थानीय निकाय से दूसरी स्थानीय निकाय पर भ्रमण करता है। इस प्रकार आवंटित संपरीक्षा कार्यों का निरीक्षण सहायक संचालक एवं उप संचालाकों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा समय–समय पर अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं संपरीक्षा दलों का निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार उप संचालकों द्वारा इस वर्ष में 125 निरीक्षण तथा सहायक संचालकों द्वारा कुल 100 निरीक्षण किये गये।

उक्त वर्णित आवासीय एवं पश्चातवर्ती दोनों संपरीक्षा प्रणाली के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2014 तक क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निकायों को जारी किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदनों में विभिन्न गंभीर वित्तीय अनियमिततायें स्थानीय निकायों के प्रकाश में लायी गयी है। इन अनियमितताओं में वर्णित राशि की जानकारी निम्न विवरण में अंकित है। इस प्रकार इस अवधि में जारी किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदनों में कुल राशि रूपये 4,69,46,87,604.00 की अनियमिततायें प्रकाश में आयी है।

क्र.	आपत्ति का प्रकार	राशि
1	2	3
1	प्रभक्षण	86,62,685.00
2	दोहरा भुगतान	5,52,878.00
3	अनियमित भुगतान	3,86,31,17,810.00
4	आर्थिक क्षति	63,81,28,320.00
5	निर्माण कार्य में अनियमितताओं के फलस्वरूप अनियमित व्यय	2,54,97,319.00
6	अधिक भुगतान	15,87,28,592.00
महायोग		**4,69,46,87,604.00**

आवासीय संपरीक्षा के दौरान देयकों से काटी गई राशि रूपये 8,00,99,851.00 है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवासीय संपरीक्षा के माध्यम से स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष रूप से राशि रूपये 8,00,99,851.00 आर्थिक क्षति से बचाया गया है।

3.8 त्रिस्तरीय पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा :–

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के आदेश कमांक/एफ–1/33/2001/ई/चार, दिनांक 12.01.2007 द्वारा विभाग को अप्रैल 2008 से ग्राम पंचायतों का संपरीक्षा कार्य सौंपा गया है।

प्रदेश में 51 जिले 313 जनपद एवं 23051 ग्राम पंचायतें है। इस वितीय वर्ष में जिला पंचायतों के 35 लेखा वर्ष जनपद पंचायतों के 141 लेखा वर्ष तथा ग्राम पंचायतों के 8657 लेखा वर्षो का अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

3.9 प्रभक्षण :–

पश्चातवर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा के माध्यम से सम्पादित स्थानीय निकायों की संपरीक्षा में अंकेक्षण दलों द्वारा प्रकाश में आये प्रभक्षण प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	विवरण	राशि
1	2	3
1	दिनांक 01.04.2013 तक प्रकाश में लाये गये गबन प्रकरणों में से अवशेष गबन प्रकरणों की संख्या	3271
2	वर्ष 2013–14 के दौरान प्रकाश में आये गबन प्रकरणों की संख्या	136
3	कुल गबन प्रकरणों की संख्या	3407
4	इन गबन प्रकरणों में सम्मिलित कुल राशि रूपये	12,20,37,129.00
5	वर्ष में जमा की गई राशि रूपये	2,25,70,990.00
6	अवशेष राशि (दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में)	9,94,66,139.00

3.10. अधिभार :–

म0प्र0 स्थानीय निधि संपरीक्षा, अधिनियम–1973 की धारा 11(1) के प्रावधान के अन्तर्गत ऐसी आर्थिक हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी/कर्मचारी की घोर उपेक्षा एवं कदाचरण अथवा तत्परता से पालन न करने या कर्तव्यों में उदासीनता/लापरवाही, बरतने के कारण अथवा अवैधानिक व्यय के कारण हुई हो। ऐसे प्रकरणों में अधिनियम की धारा–11 के प्रावधान के अनुरूप अधिभार भारित किया जाकर वसूली की कार्यवाही अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया से की जाती है। अधिभार प्रकरणों की 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति में जानकारियां निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	संख्या
1	2	3
1	दिनांक 01.04.2013 को शेष आरोप पत्रों की संख्या	105
2	वर्ष 2013–14 (31.03.2014 तक) में जारी आरोप पत्रों की संख्या	05
3	कुल जारी आरोप पत्रों की संख्या	110
4	कुल सन्निहित राशि रूपये	1,92,97,999.00
5	जमा राशि रूपये	निंल
6	अवशेष राशि (दिनांक 31.03.2014 तक)	1,92,97,999.00

3.11. अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के संबंध में :–

संचालनालय द्वारा संपादित पश्चातवर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में लाये गये आक्षेपों का निराकरण स्थानीय निकायों के पालन प्रतिवेदन के आधार पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति द्वारा निराकृत किये गये आक्षेपों की स्थिति इस प्रकार हैः–

क्र.	विवरण	संख्या
1	2	3
1	दिनांक 31.03.13 को अवशेष आक्षेपों की संख्या	346450
2	वर्ष 2013–14 (31 मार्च, 2014 तक) में प्रकाश में आये आक्षेपों की संख्या	12860
3	कुल आक्षेपों की संख्या	355310
4	वर्ष में (31 मार्च, 2014 तक) निराकृत आक्षेपों की संख्या	12228
5	अवशेष आक्षेपों की संख्या(31.03.2014)	347082

3.12 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन :–

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–18 एवं धारा 'क' के अन्तर्गत इस संचालनालय के निम्नलिखित कार्यालयों के लिये क्रमशः अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी निम्नानुसाार नामांकित किये गये हैः–

क्र.	कार्यालय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	2	3	4	5
1	संचालनालय ग्वालियर	संयुक्त संचालक	उप संचालक	सहायक संचालक (मुख्या.)
2	संचालनालय (प्रकोष्ठ) भोपाल	संयुक्त संचालक (प्रशासन)	उप संचालक (प्रशासन)	सहायक संचालक (प्रशासन)
3	क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय उप संचालक	सहायक संचालक (प्रशासन)	ज्येष्ठ संपरीक्षक (प्रशासन)

आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के आदेश क्रमांक 425 दिनांक 17.10.2011 द्वारा संयुक्त संचालक को स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर को प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को भली–भांति अनुसरण किया गया है।

संचालनालय में मार्च, 2013 से अप्रेल, 2014 तक 144 आवेदन प्राप्त हुये थे जिनमें से 144 आवेदनों का समुचित निराकरण किया गया, तथा निराकरण हेतु शेष आवेदनों की संख्या निरंक है।

3.13 राज्य की महिला नीति एवं कार्य योजना :–

राज्य की महिला नीति की सत्त समीक्षा हेतु उप संचालक(मुख्या0) को दायित्व सौंपा गया है। संचालनालय में महिला को प्रायः सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है तथा लिंग के आधार पर विभेद नहीं करते हुये पुरूषों के समान शासकीय कार्यार्थ अवसर प्रदान किये गये है ।

संस्थाओं का विवरण जिनका आडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है

क्र.	निकाय का नाम	ईकाईयों की संख्या
1.	जिला पंचायत	50
2.	जनपद पंचायत	313
3.	ग्राम पंचायत	23051
4.	नगर पालिका निगम	14
5.	नगर पालिका	93
6.	नगर पंचायत	236
7.	जिला शहरी विकास अभिकरण	45
8.	विकास प्राधिकरण	06
9.	कृ.उ.म. समिति	235
10.	पशु कल्याण समिति	36
11.	रोगी कल्याण समिति	360
12.	माध्यमिक शिक्षा मण्डल	01
13.	पाठ्य पुस्तक निगम	01
14.	विश्वविद्यालय(राजा मानसिंह तौमर संगीत वि.वि. एवं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृ.वि.वि. ग्वालियर सहित)	17
15.	तकनीकी संस्थाऐं	04
16.	शा. अनुदान प्राप्त महाविद्यालय/हाईस्कूल/प्राथमिक विद्यालय	551
17.	विधिक सहायता बोर्ड	46
18.	मुख्य मंत्री सहायता कोष	46
19.	कृषि विपणन बोर्ड एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय	08
20.	गन्ना विकास परिषद	06
21.	सांस्कृतिक अकादमी परिषद बोर्ड, विविध संस्थायें (गांधी शताब्दी लेखों को छोड़कर)	154
22.	ब्रिस्क खाते	36
23.	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण	01
24.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	02
25	ओकांफ विभाग	01
	योग :	**25216**

अध्याय 4

संचालनालय, संस्थागत वित्त

4.1 सामान्य जानकारी :–

संचालनालय, संस्थागत वित्त का गठन नवम्बर 1977 में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन एक कक्ष के रूप में किया गया था। दिसम्बर 1979 में संचालनालय, संस्थागत वित्त को वित्त विभाग के अधीन किया गया। मई 1980 में संचालक, संचालनालय, संस्थागत वित्त को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 द्वारा संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज को समाप्त करने के फलस्वरूप इस संचालनालय के कर्मचारियों को संचालनालय, संस्थागत वित्त के अधीन लिया गया है।

संचालनालय के मुख्य दायित्व निम्नांकित हैं :–

1. कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, सामुदायिक विकास आदि से संबंधित शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत वित्त मामलों में विभिन्न संस्थाओं (SLBC/DLCC/BLBC/Banks/Financial Institutions/RBI/NABARD/SIDBI/NHB) के साथ समन्वय।
2. वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य सम्पादन में आने वाली बाधाओं /समस्याओं का निराकरण कर प्रदेश में बैंकिंग कार्यकलापों का अपेक्षित विस्तार करना।
3. अग्रणी बैंक योजना, जिला ऋण योजना, राज्य साख योजना से संबंधित कार्य, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समितियों से जुड़े कार्य।
4. बैंकों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति से संबंधित कार्य तथा सामान्य बैंकिंग से संबंधित प्रकरणों का निराकरण
5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का प्रसंस्करण।
6. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य।
7. जन निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य।
8. अल्प बचत संबंधी कार्य।

4.2 अधीनस्थ कार्यालय व अमला :–

संचालनालय, संस्थागत वित्त तथा अधीनस्थ कार्यालय के लिये मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–19/4/2007/ई/चार, दिनांक 31.10.2009 द्वारा स्वीकृत पदों का विवरण निम्न तालिका में है।

पदनाम	स्वीकृत पद	
संचालक	01	
अपर संचालक	01	
संयुक्त संचालक	02	
सहायक संचालक	01	यह पद मृत संवर्ग का है
लेखाधिकारी	01	
लेखापाल	01	
लेखापाल–विशेष वेतन रू.250/–	01	यह पद मृत संवर्ग का है
प्रोग्रामर	01	
सहायक प्रोग्रामर	01	
कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	
वरिष्ठ जिला संस्थागत वित्त अधिकारी	01	यह पद मृत संवर्ग का है
जिला संस्थागत वित्त अधिकारी	16	यह पद मृत संवर्ग का है
क्षेत्रीय सहायक	31	यह पद मृत संवर्ग का है
स्टेनोग्राफर ग्रेड–1	01	
स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	01	
स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	04	इनमें से 02 पद मृत संवर्ग के है
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	
सहायक ग्रेड–1	12	इनमें से 11 पद मृत संवर्ग के है
सहायक ग्रेड–2	07	इनमें से 06 पद मृत संवर्ग के है
सहायक ग्रेड–3 /टायपिस्ट	18	इनमें से 12 पद मृत संवर्ग के है
वाहन चालक	08	इनमें से 04 पद मृत संवर्ग के है तथा शेष 04 पदों में से 01 पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत है
दफ्तरी/जमादार	02	इनमें से 01 पद मृत संवर्ग के है
भृत्य/फर्राश/चौकीदार/स्वीपर	27	इनमें से 18 पद मृत संवर्ग के है तथा शेष 09 पदों में से 02 पद कलेक्टर दर पर स्वीकृत है।
कुल योगः–	**141**	

4.3 बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु परियोजना प्रबंध इकाई :–

संचालनालय, संस्थागत वित्त के अधीन जून 1996 से परियोजना प्रबंध इकाई स्थापित है। भारत सरकार के नीतिगत निर्णय अंतर्गत विकासपरक नीतियों को मूर्त रूप

देने हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन, बाह्य (विदेशी) वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाये जाते हैं। इन नीतियों अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से संचालनालय, संस्थागत वित्त द्वारा विभाग, भारत सरकार एवं बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाने का कार्य किया जाता है, जिससे अधिकाधिक विदेशी सहायता का प्रवाह समयबद्ध कार्यक्रमानुसार सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में प्रचलित बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की उच्च स्तरीय सावधिक समीक्षा की जाती है।

प्रदेश में बाह्य वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

बाह्य वित्तीय सहायता से संचालित परियोजनाऐंः

(रूपये करोड़ में)

क्र.	परियोजना का नाम	विभाग	बाह्य वित्तदायी संस्था	परियोजना लागत	प्रगति		
					2011-12	2012-13	2013-14
1	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – I	ऊर्जा	ए.डी.बी.	589.63	43.10	20.70	परियोजना पूर्ण
2	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – II		ए.डी.बी.	250.31	51.38	41.16	14.93
3	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – III		ए.डी.बी.	819.00	14.99	43.17	28.63
4	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – IV		ए.डी.बी.	553.13	81.31	66.45	34.41
5	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – V		ए.डी.बी.	1037.50	196.67	146.62	140..51
6	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग – VI		ए.डी.बी.	388.12	23.25	67.95	115.75
7	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षमता सुधार निवेश कार्यक्रम भाग(फीडर पृथकीकरण)– I		ए.डी.बी.	1490.00	117.11	161.03	108.12
8	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षमता सुधार निवेश कार्यक्रम भाग(फीडर पृथकीकरण)– II		ए.डी.बी.	1460.00	28.45	225.34	167.64
9	मध्यप्रदेश ट्रान्समीशन सिस्टम मोडर्नाइजेशन परियोजना		जे.आई.सी.ए.	1247.92	0.00	123.50	146.18
10	मध्यप्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना चरण–II	लोक निर्माण	ए.डी.बी.	1640.00	66.37	0.00	परियोजना पूर्ण
11	मध्यप्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना चरण–III		ए.डी.बी.	1688.00	247.10	464.46	304.50

क्र.	परियोजना का नाम	विभाग	बाह्य वित्तदायी संस्था	परियोजना लागत	प्रगति		
					2011-12	2012-13	2013-14
12	शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना	नगरीय प्रशा. एवं विकास	ए.डी.बी.	1125.00	59.63	33.46	1.73
13	शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना पूरक ऋण		ए.डी.बी.	415.00	74.84	82.00	17.68
14	म.प्र.अरबन सर्विसेस फार द पुअर प्रोग्राम		डी.एफ. आई.डी.	287.00	65.63	78.05	परियोजना पूर्ण
15	शहरी संरचना निवेश कार्यक्रम –द्वितीय चरण		डी.एफ. आई.डी	170.00	0.00	42.50	10.54
16	मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना भाग– II	पंचा.एवं ग्रामीण विकास	डी.एफ. आई.डी.	294.00	38.46	3.93	परियोजना पूर्ण
17	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र पुर्नसंरचना कार्यक्रम– II	उर्जा	डी.एफ. आई.डी	44.00	9.45	0.98	परियोजना पूर्ण
18	मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	स्वास्थ्य	डी.एफ. आई.डी.	935.00	65.91	184.61	139.45
19	मध्यप्रदेश शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण–I	वित्त	डी.एफ. आई.डी.	26.00	0.91	0.00	परियोजना पूर्ण
20	मध्यप्रदेश शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण– II	वित्त	डी.एफ. आई.डी.	108.75	0.00	0.00	9.77
21	तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास	आईफाड	41.18	5.67	12.01	19.12
22	इन्दिरा गांधी गरीबी हटाओ कार्यक्रम(DPIP)II	ग्रामीण विकास	विश्व बैंक	550.00	127.82	146.26	119.36
23	म.प्र. जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना	जल संसाधन विभाग	विश्व बैंक	1899.95	171.31	208.03	328.67
24	राष्ट्रीय जल विज्ञान (Hydrology) परियोजना		विश्व बैंक	24.67	3.55	2.44	1.24
25	डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट		विश्व बैंक	314.55	0.49	1.57	12.38
			योग	**17398.71**	**1493.40**	**2161.94**	**1720.61**

4.4 राज्य ब्रिस्क योजना :–

प्रदेश में समुचित विकास के उद्देश्य से वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्यापार जगत के साथ–साथ शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी संस्थागत साख उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की समयबद्ध वसूली से ही वित्त पोषण की निरन्तरता सुनिश्चित होती है। बैंक ऋण वसूली की समस्या के समाधान तथा सुगम वसूली के उद्देश्य से ''**मध्यप्रदेश लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987**'' में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऋण ग्रहिता द्वारा ऋण का समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र पेश किये जाने पर शासन के राजस्व

विभाग के अमले के माध्यम से वसूली किये जाने का प्रावधान है। बैंकों द्वारा ऋण की वसूली हेतु स्वयं के स्तर पर विशेष इकाई स्थापित करने पर भी वसूली नहीं हो पाने के कारण बैंकों के परामर्श एवं पूर्णतः आर्थिक सहयोग से बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु ''**बैंक वसूली प्रोत्साहन (ब्रिस्क) योजना**'' 1 अप्रैल 1995 से लागू की गई है।

ब्रिस्क योजना के कियान्वयन की समीक्षा तथा समन्वय हेतु संचालनालय में ''राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ'' कार्यरत है, जो ''ब्रिस्क प्रबन्ध समिति'' के पर्यवेक्षण एवं देखरेख में ब्रिस्क योजना का राज्य स्तर पर समन्वय, सतत समीक्षा, निरीक्षण, राज्य ब्रिस्क पुरस्कार योजना का संचालन तथा ब्रिस्क खातों का अंकेक्षण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था तथा योजना के संवर्धन से संबंधित अन्य प्रासंगिक कार्य करता है।

ब्रिस्क योजना अंतर्गत बैंक अतिदेय राशियों की वसूली में निरन्तर सुधार परिलक्षित हो रहा है। गत तीन वर्ष की प्रगति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड में)

वर्ष	अर्जित वसूली
2011–12	80.14
2012–13	94.17
2013–14	28.62

4.5 मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 :–

राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की अनुशंसा पर प्रदेश के निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से तथा अनिगमित निकायों व वित्तीय संस्थापनाओं (Un-incorporated Financial Bodies) की गतिविधियों पर अंकुश रखने हेतु ''मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000'' लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम, 2003 अधिसूचित किये गये हैं। अधिनियम में निहित प्रावधान को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ने अधिसूचना द्वारा समस्त ज़िला कलेक्टरों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

4.6 मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन :–

मध्यप्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी स्थिति का विवरण देने के लिये प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 1995 में जारी किया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन वर्ष 1998, 2002 एवं 2007 में हुआ है। पांचवें म.प्र. मानव विकास प्रतिवदेन हेतु "कृषि एवं आजीविका" को विषय वस्तु चुना गया है। पाचवॉ मानव विकास प्रतिवेदन हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति एवं प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में प्रचालन समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त विषयवस्तु के क्षेत्र में विशेषज्ञ को सम्मिलित कर सलाहकार समूह का गठन किया गया है। प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4.7 प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति :–

भारतीय रिजर्व बैंक की अग्रणी बैंक योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गठित एवं त्रैमासिक अन्तराल में आयोजित ''राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति'' के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त पोषण से चलाई जा रही हितार्थी मूलक एवं रोजगार संबंधी शासन प्रायोजित विकासशील योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंकों एवं अन्य वित्तदायी संस्थाओं तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के मध्य प्रभावी समन्वय का कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं का विकास, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकों के राज्य स्तरीय तथा प्रधान कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

बैंक शाखा नेटवर्क (दिनांक 31.03.2014 की स्थिति) :–

बैंक	ग्रामीण शाखाएं	अर्द्धशहरी शाखाएं	शहरी शाखाएं	कुल
वाणिज्यिक बैंक	1269	1084	1331	3684
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	809	282	101	1192
सहकारी बैंक	558	470	93	1121
निजी बैंक	94	139	185	418
कुल योग	**2730**	**1975**	**1710**	**6415**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र हेतु निर्धारित राष्ट्रीय मानक एवं प्रदेश की स्थितिः–

(प्रतिशत में)

विवरण	निर्धारित मानक	वर्ष 2012–13 की स्थिति (31.03.13)	वर्ष 2013–14 की स्थिति में (31.03.14)
साख–जमा अनुपात	60.00	63	66
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	40.00	57	59
कृषि अग्रिम	18.00	34	34
कमजोर वर्ग को अग्रिम	10.00	11	11

प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र के मुख्य सूचकांकः

(₹. करोड़ में)

विवरण	मार्च 2012 की स्थिति	मार्च 2013 की स्थिति	मार्च 2014 की स्थिति
कुल जमा	180871	220689	249525
कुल अग्रिम	113291	139330	164877
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	68172	79813	96619
कृषि अग्रिम	33795	47123	55681
कमजोर वर्ग को अग्रिम	13857	15401	21277
लघु उद्योगों को अग्रिम	13450	17688	22937

बैकों द्वारा वार्षिक साख योजना का कियान्वयन

(₹. करोड़ में)

	वर्ष 2011–12			वर्ष 2012–13			वर्ष 2013–14		
क्षेत्र	**लक्ष्य**	**प्राप्ति**	**प्रतिशत**	**लक्ष्य**	**प्राप्ति**	**प्रतिशत**	**लक्ष्य**	**प्राप्ति**	**प्रतिशत**
कृषि क्षेत्र	25779	24493	95	32092	31651	99	41666	43618	105
फ़सल ऋण	19853	19556	99	23085	26779	116	40150	40628	101
सावधिक ऋण	5925	4936	83	9006	4872	54	1516	2990	197
लघु उद्योग क्षेत्र	3480	5023	144	6028	5950	99	7708	7181	93
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	3518	3904	111	4218	3594	85	6296	5099	81
योग	**32777**	**33420**	**102**	**42338**	**41195**	**97**	**55670**	**55898**	**100**

बैंकों को राज्य प्रायोजित योजनाओं हेतु वार्षिक साख योजना :–

संचालनालय, संस्थागत वित्त द्वारा राज्य शासन के सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के सहयोग से राज्य–स्तर की "राज्य साख योजना" [State Credit Plan - SCP] बनाने का कार्य वर्ष 1992 से किया जा रहा है। इस दस्तावेज़ में राज्य प्रायोजित ग़रीबी उन्मूलन, रोजगार मूलक योजनाओं के अन्तर्गत वित्तदायी संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से कार्यान्वित योजनाओं के जिलेवार, योजनावार एवं विभागवार लक्ष्यों का समावेश होता है। वर्ष 2014–2015 हेतु राशि रूपये 6563.02 करोड़ की साख योजना बनाई गई है।

किसान क्रेडिट कार्ड :–

प्रदेश में 31 मार्च, 2014 तक 74,32,538 तथा वर्ष 2013–2014 में रूपये 11,02,226 किसान क्रेडिट कार्ड विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए है।

4.8 जन–निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से अधोसंरचना परियोजनाओं का कियान्वयन :–

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जन–निजी भागीदारी परियेाजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी परियोजनाओं के विकास में सहायता तथा समन्वय करने के उद्देश्य से संचालनालय संस्थागत वित्त में जन निजी भागीदारी सेल गठित किया गया है। आयुक्त, संस्थागत वित्त को इस हेतु नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। जन–निजी भागादारी के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की जा रही है। जिसमें सड़क निर्माण के क्षेत्र में जन निजी भागीदारी ने अग्रणी भूमिका निभाई है। मध्यप्रदेश में जिन क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे है, उनमें सड+क निर्माण, जल प्रदाय, शहरी यातायात, नगरीय विकास, उर्जा, इको पर्यटन, भण्डारण, दुग्ध संघ, आदि सम्मिलित हैं। मार्च, 2014 तक रूपये 26,000 करोड लागत की परियोजनाओं का कियान्वयन विभिन्न चरणों में किया जा रहा है।

4.9 महिला नीति का कियान्वयन :–

महिला समुदाय को अपेक्षित बैंकिंग साख सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत बैंकों द्वारा 8,63,742 महिला हितार्थियों को राशि रूपये 14721 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराये गये।

अध्याय 5

संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा

5.1 विभागीय संरचना :–

मध्यप्रदेश में वर्ष 1986 के पूर्व पेंशन प्रकरणों का निराकरण महालेखाकार द्वारा किया जाता था। तत्पश्चात प्रशासकीय विभागों को सहायता देने एवं कर्मचारियों की कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय हेतु वर्ष 1986 में संचालनालय, पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण का गठन कर विभागों में पेंशन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया।

शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति की तारीख को ही पेंशन परिलाभों के प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से राज्य शासन ने 1995 में पेंशन के कार्य का संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया गया।

म0प्र0शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 3135/3118/08/ई/चार, दिनांक 01.10.2008 द्वारा पेंशन संचालनालय का नाम परिवर्तित कर ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' किया गया है। ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' को पेंशन कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया हैं।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28–12–2010 द्वारा समस्त जिलों में दिनांक 01.01.2011 से जिला पेंशन कार्यालय खोलने की अनुमति जारी की गई तथा समस्त जिला स्तर पर जिला पेंशन कार्यालय अस्तित्व में आ गये।

जिलों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण अब कोषालय अधिकारियों के स्थान पर जिला पेंशन कार्यालयों को प्रेषित किये जा रहे हैं एवं पेंशन कार्यालय द्वारा पी0पी0ओ0/जी0पी0ओ0/कम्युटेशन पेमेंट आर्डर जारी किये जा रहे है।

5.2 संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म0प्र के अधीन स्वीकृत पद :–

स.क.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	2	3	4
1.	आयुक्त/संचालक	प्रथम श्रेणी	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	01
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	01
स.क.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद

1	2	3	4
4.	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	01
5.	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	04
6.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01
7.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	02
8.	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	01
9.	अंकेक्षण अधिकारी	तृतीय श्रेणी	04
10.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	01
11.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	03
12.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	02
13.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	06
14.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	04
15.	सहायक ग्रेड–3 (डाटाएन्ट्री आपरेटर)	तृतीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	04
16.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02
17.	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	01
18.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	06
19.	चौकीदार	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
20.	फर्राश(अंशकालीन)/स्वीपर (अंशकालीन)	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
21.	वाटर मैन	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
		योग :–	**48**

5.3 पेंशन संचालनालय के दायित्व :–

पेंशनर्स के स्वत्वों एवं उनकी सामान्य समस्याओं के निराकरण हेतु पेंशन संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये है :–

1– विभिन्न संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेंशन/समस्त कोषाधिकारियों के मध्य पेंशन संबंधी मामलों में समन्वयकारी भूमिका।

2– पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण।

3– पेंशन नियमों का सरलीकरण एवं अद्यतीकरण।

4– पेंशन कार्य का अंकेक्षण।

5– पेंशनर कल्याण मंडल तथा पेंशनर कल्याण कोष का संचालन।

6– पेंशन संबंधी मामलों में परामर्श देना।

7– समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों/समस्याओं से संबंधित मामलों के लिए शासन की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य।

8– दिनांक 01.10.08 से उपरोक्त कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 का क्रियान्वयन।

9– राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन।

जिला पेंशन कार्यालयों के अधीन स्वीकृत पद :–

क्र0	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	**2**	**3**	**4**
1	जिला पेंशन अधिकारी (संयुक्त संचालक स्तर)	प्रथम श्रेणी	07
2	जिला पेंशन अधिकारी (उप संचालक स्तर)	प्रथम श्रेणी	43
3	सहायक पेंशन अधिकारी (म.प्र.अधीनस्थ लेखा सेवा)	तृतीय श्रेणी	328
4	सहायक ग्रेड–2 (लेखा प्रशिक्षित)	तृतीय श्रेणी	50
5	सहायक ग्रेड–3 (डाटाएन्ट्री ऑपरेटर)	तृतीय श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	114
6	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी (संविदा नियुक्ति)	150
		योग :–	**692**

जिला पेंशन कार्यालयों के दायित्व :–

I. जिले में आगामी दो वर्षो में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करना।

II. सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के अभिलेखों में सेवा सत्यापन, वेतन निर्धारण, अवकाश स्वीकृति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख से समन्वय करना तथा यह समस्त कार्यवाही सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना।

III. सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पूर्व के पेंशन प्रकरणों संबंधी अभिलेख मय सेवा पुस्तिका के अपने कार्यालय में बुलाकर संधारित करना।

IV. कंडिका III के तहत प्राप्त पेंशन प्रकरणों की जांच करना, वेतन निर्धारण करना, अर्हतादायी सेवा का सत्यापन करना तथा असाधारण रूप से हुए विलम्ब के प्रकरणों में जिला कलेक्टर एवं विभागाध्यक्ष से सम्पर्क कर निश्चित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराना।

V. पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों का निराकरण करना एवं सेवानिवृत्ति के दिनांक को कर्मचारी को पेंशन प्राधिकार पत्र सहित सभी आवश्यक स्वीकृतियों उपलब्ध कराना।

VI. सेवानिवृत्ति तिथि से एक माह की अवधि एवं उसके पश्चात पेंशनर के बैंक में मासिक पेंशन का निरन्तर भुगतान करना।

VII. पेंशनर की मृत्यु पर परिवार पेंशन प्राधिकृत करना एवं परिवार पेंशनर के बैंक खाते में मासिक पेंशन जमा करना।

VIII. समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पेंशन एवं मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण करना।

IX. समय–समय पर पेंशन का ऑडिट कराना।

X. कंडिका III के तहत संधारित एवं पेंशन कार्यालय द्वारा समय–समय पर तत्संबंधी सृजित अभिलेखों को पेंशनर/परिवार पेंशनर की मृत्यु तक अथवा परिवार पेंशन की पात्रता तिथि तक एवं उसके पश्चात तीन वर्षो तक सुरक्षित रखना।

सामान्य जानकारी

5.4 पेंशन प्रकरणों की प्रगति :–

विभागीयकरण योजना जो कि वर्ष.1986 से लागू की गई थी, के अंतर्गत पेंशन संचालनालय द्वारा कुल 85,250 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये ।

दिनांक 01 जून 1995 से पेंशन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण कर पेंशन कार्य समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेंशन को सौंपा गया था। विकेन्द्रीकरण के पश्चात् अर्थात् दिनांक 01.06.1995 से 31.10.2002 तक कुल 1,36,353 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

5.5 पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण :–

राज्य शासन द्वारा पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण कर यह कार्य दिनांक 01.11.2002 से कोषालय अधिकारियों को सौंपा गया था।

(क) भोपाल स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./कम्युटेशन प्राधिकार पत्र संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन भोपाल संभाग द्वारा जारी किये जा रहे है तथा भोपाल के बाहर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों के शासकीय सेवको के पेंशन प्राधिकार पत्र संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा ही जारी किये जा रहे थे। अब शासनादेश द्वारा भोपाल स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के समस्त पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संभागीय पेंशन अधिकारी, भोपाल को सौंपा गया है तथा भोपाल के बाहर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों के शासकीय सेवकों के पेंशन प्राधिकार पत्र संबंधित संभागीय पेंशन कार्यालयों द्वारा जारी किया जा रहा है।

(ख) पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण के पश्चात् (01.11.2002 से 31.12.2010) तक कुल 1,30,620 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये।

(ग) संभागीय/जिला पेंशन कार्यालयों का गठन होने के पश्चात् अर्थात दिनांक 01.01.2011 से समस्त जिला पेंशन कार्यालय द्वारा माह मार्च, 2014 तक कुल 48566 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है ।

कोषालय एवं जिला पेंशन कार्यालय द्वारा विगत पांच वर्षों में कुल 83189 पेंशन प्रकरण निराकृत किए गये। निराकृत पेंशन प्रकरणों की वित्तीय वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

स.क.	वित्तीय वर्ष	निराकृत पेंशन प्रकरणों की संख्या
01	2009-2010	14205
02	2010-2011	17681
03	2011-2012	17660
04	2012-2013	16586
05	2013-2014	17057
	कुल निराकृत प्रकरणः–	**83189**

5.6 पेंशन कार्य का अंकेक्षणः–

पेंशन कार्य के जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप समस्त जिला पेंशन अधिकारियों द्वारा किये जा रहे पेंशन कार्य का अंकेक्षण संभागीय पेंशन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

5.7 पेंशनर कल्याण मंडल :–

राज्य शासन द्वारा पेंशनरों की समस्याओं पर सतत् विचार कर निराकरण करने के लिए पेंशनर कल्याण मंडल का भी गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न पेंशनर संघों के 6 प्रतिनिधि नामांकित होते है। इसकी बैठक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अध्यक्षता में वर्ष में दो बार होती है। मंडल का कार्यकाल दो वर्ष का होता है। वर्तमान मंडल का पुर्नगठन दिनांक 25 जुलाई, 2012 को हुआ है। विगत बैठक दिनांक 9.10.2013 को आयोजित की गई।

5.8 पेंशनर कल्याण कोषः–

शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों एवं उनके परिवार के सदस्यों की लंबी अथवा गंभीर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, अपंगता अथवा अंधे होने जैसी दैवी विपदा के समय वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से रूपये 10.00 लाख की राशि से पेंशनर कल्याण कोष स्थापित किया गया है। कोष की स्थापना वर्ष 1988 से अभी तक कुल 3363 प्रकरणों

में रूपये 60,53,372/– की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस कोष में वर्तमान में शेष राशि रूपये 5,75,544/– है।

पेंशनर कल्याण कोष से विगत पांच वर्षो में स्वीकृत वित्तीय सहायता की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

स. क्रं.	वर्ष	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2009-2010	02	117254
2	2010-2011	02	22424
3	2011-2012	154	321877
4	2012-2013	निरंक	00
5	2013-2014	01	10000
	योगः–	**159**	**471555**

5.9 जिला पेंशनर फोरम :–

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–11–2/03/15 /क.क दिनांक – 23.10.2003 द्वारा जिला पेंशनर फोरम का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। जिला पेंशनर फोरम का मुख्य कार्य पुराने पेंशन प्रकरणों को ज्ञात करने, सुलझाने एवं पेंशनरों की कल्याणकारी गतिविधियों में सहायता करना है।

5.10 नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना :–

- मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा एवं सिविल सेवा पदों पर दिनांक 01 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है ।
- उक्त योजना राज्य शासन के नियंत्रणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों /निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों जिनमें राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित पेंशन प्रणाली दिनांक 01.01. 2005 के पूर्व प्रचलित थी, के दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू है।
- मध्यप्रदेश शासन के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 या उसके पश्चात हुई हो, के सदस्यों के लिए भी उक्त परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू है।

- योजना के अंतर्गत NPS Trust के साथ प्रदेश शासन का अनुबंध दिनांक 16.12. 2008 को सम्पादित किया गया है। मध्य प्रदेश NPS Trust के साथ अनुबंध करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
- प्रदेश शासन का अनुबंध केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी NSDL (National Securities Depository Limited) के साथ भी हो चुका है। योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

1. समस्त **56** कोषालयों का NSDL के साथ पंजीयन पूर्ण किया जा चुका है।
2. **9554** आहरण संवितरण अधिकारियों का पंजीयन NSDL के साथ किया जा चुका है।
3. 1 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त **97711** कर्मचारियों का पंजीयन NSDL के साथ हो चुका है।
4. NSDL द्वारा निर्धारित Data Format में, CMC Ltd. द्वारा C-SFMS के अंतर्गत SLIM Module में एक सुविधा पृथक से विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत NPS अभिदाताओं के कटौत्री का विवरण पृथक से संधारित होता है, जिसे NSDL की Site पर Upload किया जाता है ।
5. माह जनवरी, 2010 से कर्मचारियों के अंशदान एवं समतुल्य शासकीय अंशदान की राशि रूपये 938.78 **करोड़ (लगभग)** को ट्रस्टी बैंक–बैंक आफ इण्डिया को हस्तांतरित किया जा चुका है। यह राशि LIC Pension Fund Limited, UTI Retirement Solution Limited एवं SBI Pension Fund Limited फंड मैंनेजरों को ट्रस्टी बैंक द्वारा हस्तांतरित की जा रही है।

अध्याय–6

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली

6.1 संचालनालय की संरचना :–

इस संचालनालय के अधीनस्थ अन्य कोई कार्यालय नहीं है।

6.2 संचालनालय के दायित्व :–

यह संचालनालय वित्त विभाग की इकाई के रुप मे कार्य करता है। वित्त विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले बजट एवं अन्य कार्य इस इकाई के माध्यम से संचालित किये जाते है, जैसेः-

- महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय/व्यय के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनायें तैयार कर विभागों/अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- राज्य के वार्षिक व अन्य नियतकालिक बजट दस्तावेजों को तैयार करना।
- बजट नियंत्रण अधिकारियों से मुद्रा साफ्टवेयर के माध्यम से बजट आंकड़े प्राप्त कर बजट संकलन की कार्यवाही करना।
- राज्य के वित्तीय प्रबंधन हेतु उच्च अधिकारियों को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना।

6.3 संचालनालय से संबंधित सामान्य जानकारी :–

वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली का गठन वर्ष 1987 में राज्य के आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया था। मार्च 1989 से संचालनालय ने कार्य शुरू किया तथा तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ किये गये। वर्ष 1991-92 से राज्य शासन के संपूर्ण बजट कार्य को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जा रहा है एवं इस हेतु साफ्टवेयर में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिमार्जन किया जाकर उसे अद्यतन किया जाता है।

वार्षिक बजट संबंधित समस्त आंकड़ों के कम्प्यूटर पर उपलब्ध होने से आवश्यक सूचनाएं उच्च स्तर पर तत्काल तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना संभव हो सका है।

संचालनालय द्वारा वित्त विभाग के लिये वेब साईट भी विकसित की गई है। जिसमें वित्त विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों को दर्शाया गया है। इस वेब साईट के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः-

- वित्त विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य, आरगेनाईजेशन चार्ट, विभाग में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी, विभाग के अधीनस्थ कार्यरत संचालनालय/निगम/संस्थाओं की जानकारी, नियमों/अधिनियमों की जानकारी, विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों/ अधिसूचनाओं की वर्षवार जानकारी आदि।
- विधान सभा में प्रस्तुत किये गये मुख्य बजट की जानकारी वित्त सचिव का स्मृति पत्र, खण्ड-1, खण्ड-2, खण्ड-3, खण्ड-4, खण्ड-5 एवं विभागों की विभिन्न मांग संख्याओं में बजट अनुमान की जानकारी एवं बजट संबंधी अन्य सूचनायें।
- केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को जारी राशियों का विवरण। वित्त मंत्रीजी द्वारा मुख्य बजट के लिये विधान सभा में दिया गया भाषण।
- बजट के मुख्य आकर्षण की जानकारी।
- विधान सभा में प्रस्तुत अनुपूरक अनुमानों की जानकारी।
- बजट संबंधी शब्दावली एवं प्रयुक्त होने वाले कोड की जानकारी।
- विभिन्न मांग संख्यावार, मुख्य शीर्षवार एवं राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं लोक लेखा संबंधित जानकारी।
- महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन।
- वित्त विभाग की सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी।
- जेण्डर बजट की जानकारी - राज्य शासन ने महिलाओं के सशक्तिकरण एवं शासकीय कार्यक्रमों में संचालन में इस प्रतिबद्धता को सुस्पष्ट करने के लिए जेण्डर बजट तैयार किया गया है। जेण्डर बजट के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं महिलाओं के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेण्डर बजटिंग का खण्ड तैयार (खण्ड-6) किया गया है।

- परिणामी बजट की जानकारी - राज्य शासन की विकास योजनाओं से अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिणामी बजट विभागवार तैयार किया गया है। परिणामी बजट में महत्वपूर्ण आयोजना परिव्यय को सम्मिलित किया गया, जिसे वेबसाईट पर मीडिया, आर्थिक विशेषज्ञों एवं जनसामान्य को विकास की योजनाओं की समीक्षा के लिये उपलब्ध कराया गया है।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेजों को तैयार करने तथा विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों एवं सूचनाओं को भी तैयार किया गया है। प्रथम छःमाही एवं द्वितीय छःमाही का समीक्षा विवरण एवं आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही विवरण तैयार कर वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।

- जन-निजी भागीदारी योजना अंतर्गत राज्य के अधोसरंचना विकास में जन-निजी भागीदारी एन्यूटी आधारित परियोजनाओं में निवेश की जानकारी इस वर्ष से प्रथमवार तैयार कर विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।

- कृषि बजट – प्रदेश में कृषि क्षेत्र में लोकधन के सुनियोजित व्यय, बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा कृषि जगत से जुडे जन सामान्य को कृषि क्षेत्र में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता की जानकारी उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुये कृषि बजट तैयार कर विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है।

वेब साईट का नाम www.mp.gov.in/finance

संचालनालय द्वारा पेपरलेस बजट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, इसके अंतर्गत मुद्रा साफ्टवेयर का विकास किया गया है, जिसकी सहायता से विभाग के बजट प्रस्ताव कम्प्यूटर के माध्यम से प्राप्त किये गये। इससे अन्य विभागीय कार्यालयों को बजट बनाने में सुविधा हुई एवं वित्त विभाग को प्रस्तावों के परीक्षण में काफी सुविधा हुई। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न सूचनायें तैयार की जा सकती है। सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों से बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराई गई सी.डी. के फार्मेट में लिये जा रहे है।

6.4 अमला

संचालनालय में संचालक बजट ही संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली का कार्य देखते हैं। वर्तमान में संचालनालय स्तर पर ही कार्यालय कार्यरत है। विगत पांच वर्षों से इस संचालनालय में कोई स्वतंत्र नियुक्ति नहीं हुई है। संचालनालय के अमले की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्रमांक	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या
1.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	01	-
2.	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	01	1
3.	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	01	-
4.	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	द्वितीय श्रेणी	01	1
5.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	1
6.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	03	2
7	सहायक लेखाधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	2
8.	शीघ्रलेखक	तृतीय श्रेणी	01	1
9.	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	01	1
10.	सहायक ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी	01	-
11.	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	01	-
12.	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	01	1
13.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01	1
14.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	04	2
15.	वाहन चालक	जिलाध्यक्ष दर पर	01	1
16.	भृत्य	जिलाध्यक्ष दर पर	01	1

अध्याय–7

मध्यप्रदेश वित्त निगम

7.1 सामान्य जानकारी :–

मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 30 जून, 1955 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 (केन्द्रीय अधिनियम) के अन्तर्गत हुई।

निगम ने विगत 59 वर्षों में 14250 से अधिक ऋण प्रकरणों में 3942.03 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये एवं 2655.53 करोड़ वितरित किए। निगम के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयॉ स्थापित हुईं साथ ही सेवा क्षेत्र जैसे होटल, अस्पताल, मनोरंजन केन्द्र, शीतगृह, भण्डार गृह इत्यादि भी स्थापित हुए।

निगम द्वारा संतुलित विकास के मद्देनजर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है और रोजगार सृजन के अवसर निर्मित हुए हैं। इन इकाइयों में 330000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया।

निगम वर्ष 2008 से आइएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त एक वित्तीय संस्था है जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया गया है। निगम में गुणवत्ता प्रबन्धन तंत्र के आधार पर लीड ऑडिटर्स द्वारा निरीक्षण के पश्चात् आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र आगामी तीन वर्षों के लिए वर्ष 2014 तक प्रदान किया है। माह मार्च, 2013 में कम्पनी द्वारा निगम का द्वितीय सर्विलेंस अंकेक्षण किया गया एवं ISO 9001: 2008 प्रमाण पत्र आगामी वर्ष तक जारी रखने के लिए उपयुक्त पाया।

निगम का उद्देश्य राज्य में स्थापित होने वाले लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा गुणवत्ता को बनाये रखना है।

7.2. संगठन का ध्येय एवं उद्देश्य :–

(अ) ध्येय :–

प्रदेश के प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में निगम का ध्येय राज्य में स्थित लघु एवं मध्यम क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों को लघु एवं मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करना है। इसके फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी तथा रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे।

निगम द्वारा राज्य में अधोःसंरचना विकास की योजनाओं हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ब) उद्देश्य :–

1. <u>ग्राहक सेवा</u>

लघु एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण इत्यादि हेतु उचित शर्तों एवं ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना तथा अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

2. <u>मानव संसाधन विकास</u>

1. कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता के विकास हेतु सतत् प्रयास करना एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान व कुशलता में वृद्धि करना।
2. कार्यनिष्पादन में मानव संसाधन विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्यप्रणाली में निरन्तर सुधार लाना।

3. <u>राज्य शासन के प्रति भूमिका</u>

1. प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु राज्य शासन की नीतियों के अनुरूप योजनाऍं बनाकर संचालित करना।
2. पूंजी के स्त्रोत हेतु राज्य शासन पर निर्भरता कम करना एवं भविष्य में लाभांश देने का लक्ष्य।
3. निगम को देश में अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ निगम बनाने हेतु प्रयास करना।

4. <u>अधिकतम गुणवत्ता हेतु भूमिका</u>

प्रतिस्पर्धा के इस दौर में गुणवत्ता ही निर्णायक भूमिका अदा करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगम की समस्त कार्यप्रणाली में गुणवत्ता को प्रमुख महत्व देना एवं निगम की समस्त गतिविधियों में यह परिलक्षित होना।

निगम के उद्देश्य (अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन)

<u>दीर्घकालीन :–</u>

1. निगम के समस्त ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाऍं बनाना एवं ग्राहक मित्र वातावरण निर्मित करना।
2. लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों में जागरूकता लाना।
3. लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के साथ दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करना।
4. सभी व्यावसायिक विकास केन्द्रों को लाभ केन्द्र एवं आत्मनिर्भर बनाना।
5. सभी प्रणालियों को पर्यावरण मित्र बनाने की दिशा में प्रयास करना एवं आने वाले समय में इस क्षेत्र में आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र हासिल करना।

अल्पकालीन :–

1. लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों को अवधि ऋण प्रदान करना।
2. ऑटो, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील एवं स्टील उत्पाद तथा केमिकल एवं खाद उद्योगों की अनुषंगी इकाइयों की स्थापना एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
3. राज्य के संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम क्षेत्र के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को मध्यम अवधि ऋण प्रदान करना।
4. राज्य के पिछड़े क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में व्यावसायिक विकास केन्द्रों के माध्यम से ऋण सुविधा का विस्तार।
5. उधार जोखिम को विस्तृत आधार पर कम करने हेतु लघु ऋणों एवं उद्यमियों की संख्या बढ़ाना।
6. ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु कार्यप्रणाली विकसित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निगम के प्रयासः

छोटे ऋणों की संख्या में वृद्धि हेतु निगम द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं इस हेतु राज्य में व्यावसायिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों को समुचित अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन केन्द्रों के द्वारा सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त व्यवसाय अर्जित (बिना किसी अतिरिक्त प्रशासकीय व्यय के) किया जा रहा है। परिचालन व्यय हेतु भी बजट के प्रावधान, आवश्यकताओं को देखते हुए न्यूनतम स्तर पर रखे गए हैं।

7.3. उपलब्धियॉ :–

निगम द्वारा राज्य के औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे किः–

(1) राज्य में गत 5 वित्तीय वर्षों में 1193 इकाइयों को रूपये 1459.22 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 271 इकाइयों को रूपये 401.70 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

निगम द्वारा स्वीकृत तथा वितरित ऋण का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः–

तालिका

(रूपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ऋण राशि स्वीकृत	वितरित ऋण राशि	वसूली
2009–10	226.73	135.41	143.10
2010–11	246.35	151.25	147.06
2011–12	260.03	163.03	181.15
2012–13	324.41	209.58	202.82
2013–14	401.70	286.53	224.59

(2) वर्ष 2013–14 में निगम द्वारा रूपये 401.70 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग भी सम्मिलित हैं।

(3) निगम द्वारा प्रदत्त वित्त के फलस्वरूप रोजगार के नए अवसर निर्मित किये गये।

7.4. राज्य में पूंजी विनिवेश :–

मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में 286.53 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण का वितरण नई औद्योगिक इकाईयों तथा अन्य सेवाक्षेत्र की इकाइयों की स्थापना एवं स्थापित इकाईयों के आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण हेतु किया गया।

(1) निगम द्वारा गत 5 वर्षों में ऋण स्वीकृत एवं वसूली में सतत् वृद्धि की गई।

(2) निगम अपनी समस्त देनदारियों का भुगतान करता आया है एवं राष्ट्रीय स्तर के बैंकों एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम को पूर्ण समर्थन दिया जाता रहा है।

(3) राज्य में अविकसित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में निगम की प्रभावी भूमिका है एवं इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक निगम को प्रतिवर्ष पुनर्वित्त प्रदान करता है।

(4) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम की आर्थिक पुनर्संरचना हेतु मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश वित्त निगम के साथ मार्च, 2004 में त्रिपक्षीय करारनामा किया गया था। निगम द्वारा उक्त करारनामे में उल्लेखित कार्ययोजना का संतोषजनक अनुकरण करने के कारण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा आगामी 5 वर्ष की अवधि हेतु नए करारनामा हेतु सहमति दी गई एवं नया करारनामा भी मार्च, 2009 में निष्पादित किया जा चुका है।

(5) प्रदेश में औद्योगीकरण की सम्भावना और रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा जारी ऋण योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन योजनाओं द्वारा नये उद्योगों के अतिरिक्त सेवा एवं व्यवसाय इत्यादि क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जा रहा है।

ध7.5. सुधार के प्रयास :–

निगम के खर्चों पर नियंत्रण के लिए सुदृढ़ बजट समर्थन प्रणाली जारी रखी गई और इसके फलस्वरूप ब्याज एवं वित्तीय खर्चे में तथा सेवावर्गीय खर्चों में नियंत्रण किया जा सका है। निगम द्वारा पूंजी के वैकल्पिक स्त्रोतों के लिए विगत 3 वर्षों में नॉन एसएलआर बॉण्ड्स निर्गम के माध्यम से रूपये 100.00 करोड़ अर्जित किये। रेटिंग संस्था CARE Ltd. द्वारा इन बॉण्ड निर्गमों को BBB "+" की रेटिंग प्रदान की गई।

निगम में पिछले 5 वर्षों में 45 अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं इस दौरान कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है। निगम ने परिचालन व्यय में कमी लाने के लिए अभी तक कुल 40 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की एवं वर्तमान में भी यह योजना लागू है।

निगम ने वर्ष 2012–13 में शुद्ध लाभ रूपये 600.70 लाख अर्जित किया है।

7.6. निगम द्वारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदम :–

प्रदेश में निगम के 8 व्यवसाय विकास केन्द्र यथोचित अधिकार विकेन्द्रीकरण सहित कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश प्रदेश के दूरस्थ अंचलों जैसे सिंगरौली, झाबुआ, छिन्दवाड़ा, बैतूल इत्यादि में स्थित है। इन व्यवसाय विकास केन्द्रों का निगम के व्यवसाय में इस वर्ष भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्ष 2013–14 में कुल स्वीकृत 271 ऋण प्रकरणों में 89 ऋण प्रकरण व्यवसाय विकास केन्द्रों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं जो कुल प्रकरणों का लगभग 33 प्रतिशत है। निगम द्वारा स्वीकृति, वितरण एवं विधिक दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। उद्यमियों की सुविधा हेतु निगम की समस्त योजनाओं की जानकारी, आवेदन–पत्र, ब्याज की दर एवं प्रक्रियाओं की जानकारी वेबसाईट (www.mpfc.org) पर उपलब्ध कराई गई है।

अध्याय–8

दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

8.1 सामान्य जानकारी :–

दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी की स्थापना सन 1926 में की गई थी। ग्वालियर राज्य एंव अन्य निकायों के पास उपलब्ध धन का विनियोग मुम्बई मे सर शापुरजी ब्रोचा एवं उनकी मत्यु के पश्चात श्री एफ.ई.दिनशा द्वारा किया गया। यह निगम कम्पनीज अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है।

8.2 उददेश्य :–

कम्पनी का मुख्य व्यवसाय अंशो, ऋण पत्रों में वेष्ठित विनियोगों का क्रय विक्रय एंव उन पर लाभांश एंव ब्याज प्राप्त करना एंव सम्पत्तियों का प्रबंध करना है।

8.3 कम्पनी की वित्तीय स्थिति :–

कम्पनी की वित्तीय स्थिति तालिका 8.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 8.1

(राशि लाखों में)

विवरण	अंकेक्षित 2011–2012	अंकेक्षित 2012–13	अनुमानित 2013–14
अंश पूंजी	49.66	49.66	49.66
संचित लाभ	2726.53	2669.28	2744.00
आय	650.91	326.82	409.00
व्यय	235.25	243.07	215.00
लाभ	415.66	83.75	194.00
लाभांश	220%	220%	220%

अध्याय–9

मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

9.1. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के उददे्श्य से ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम 2000'' के अधीन ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड'' गठित किया गया है। इस बोर्ड के द्वारा राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार की वाईबिलिटी गैप फंड़िग योजना अन्तर्गत राज्य शासन के अंशदान के रूप में दिये जाने वाले अनुदान का निर्गमन भी इस बोर्ड के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को वाईबिलिटी गैप फंड़िग के रूप में रूपये 23.34 करोड़ का अनुदान बोर्ड के माध्यम से निर्गमित किया गया है ।

अध्याय–10

राज्य वित्त आयोग

दिनांक 28.01.2012 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। शासन द्वारा आयोग को पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु निम्नानुसार दायित्व सौपा गया है :–

¼d½ (i) राज्य उद~ग्रहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगामों के राज्य और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के बीच जो संविधान के भाग–9 तथा 9¼d½ के अधीन उनमें विभाजित किये जाये, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को,

(ii) ऐसे करों शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को जो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी,

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिये सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में,

(ख) पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक अध्युपायों के बारे में,

(ग) पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के सुदृढ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा।

अध्याय–11

विभागाध्यक्षों के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय

11.1 संचालनालय, कोष एवं लेखा :–

वर्ष 2013–2014 में रूपये 150.40 करोड का बजट स्वीकृत हुआ जिसमें से माह मार्च, 2014 तक रूपये 79.43 करोड का व्यय किया गया।

11.2 संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा :–

वर्ष 2013–14 में रूपये 49.16 करोड का बजट स्वीकृत हुआ जिसमें से माह 31 मार्च, 2014 तक रूपये 36.89 करोड का व्यय किया गया।

11.3 संचालनालय, संस्थागत वित्त :–

वर्ष 2013–2014 में संचालनालय, संस्थागत वित्त को आयोजना मद में रूपये 85.04 करोड का बजट आबंटन स्वीकृत हुआ, जिसके विरूद्ध माह मार्च, 2014 तक रूपये 48.32 करोड का व्यय हुआ। आयोजनेत्तर मद में रूपये 8.38 करोड के आबंटन के विरूद्ध माह मार्च, 2014 तक राशि रूपये 4.84 करोड का व्यय हुआ है।

11.4 संचालनालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा :–

वर्ष 2013–2014 में रूपये 6.94 करोड का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध मार्च, 2014 तक रूपये 3.57 करोड का व्यय किया जा चुका है।

संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा के प्रशासकीय नियंत्रण में जिला पेंशन कार्यालयों का गठन किया गया है। जिला पेंशन कार्यालयों के लिये केवल आयोजनेत्तर मद में वर्ष 2013–14 में रूपये 28.61 करोड का बजट प्रावधानित है, जिसके विरूद्ध मार्च, 2014 तक रूपये 7.85 करोड का व्यय किया गया।

11.5 संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली :–

वर्ष 2013–2014 में रूपये 1.07 करोड का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्ध मार्च, 2014 तक रूपये 0.66 करोड का व्यय हुआ है।

अध्याय–12

सामान्य प्रशासनिक विषय

वित्त विभाग व्दारा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने तथा विकास कार्यो के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभागों को अधिकाधिक वित्तीय अधिकार दिये गये है। शासकीय योजनाओं के पंजीयन, स्वीकृति एवं समीक्षा के लिये कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया है। शासकीय कर्मचारियों का कम्प्यूटराईज्ड डाटाबेस तैयार किया गया है। इस वर्ष विभाग के व्दारा कर्मचारी कल्याण के अनेक कार्य किये गये है।

2/– 14वें वित्त आयोग द्वारा माह फरवरी, 2014 में प्रदेश का भ्रमण किया गया। आयोग को सौपे जाने वाले प्रतिवेदन की तैयारी विभाग द्वारा की गई।

3/– मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों में तय राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा तथा सकल परादेय ऋण सीमाओं में रहा है।

अध्याय–13

अभिनव योजना नवाचार

13.1. PRAN Generation हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था :–

नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 2005 के अन्तर्गत नॉन आईआरए प्रान को आईआरए प्रान में परिवर्तित करने हेतु संचालनालय पेंशन द्वारा 05.12.2013 से यह व्यवस्था लागू की गयी है कि समस्त कोषालयों द्वारा नॉन आईआरए प्रान को आईआरए में परिवर्तन हेतु भरे जा रहे एस–1 फार्म सीधे को न भेजे जाकर संचालनालय पेंशन को भेजे जायेंगे एवं संचालनालय पेंशन उसकी जांच कर आगामी कार्यवाही हेतु भोपाल स्थित सुविधा केन्द्र के माध्यम से एन.एस.डी.एल. को भेजेगा । यह व्यवस्था त्रुटिरहित एस–1 फार्म एन.एस.डी.एल. को प्रेषित करने हेतु की गई है ।

13.2. एस–1 फार्म का सेवापुस्तिका में संलग्नीकरण :–

वित्त विभाग द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.08.2013 द्वारा भविष्य में सेवानिवृत्ति /त्याग पत्र/मृत्यु होने की दशा में नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 2005 अन्तर्गत नियमानुसार देय राशि के भुगतान संबंधी समस्या न आए । इस हेतु प्रान एप्लीकेशन फार्म एस–1 तथा नामिनी की प्रविष्टि सर्विस बुक में किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं ।

13.3. प्रतिनियुक्ति पर कटोत्रा का समायोजन :–

वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ–9/तीन/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 22.09.2006 के बिन्दु क्र.23 में यह उल्लेखित है कि ऐसे शासकीय सेवक को जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, इनका मासिक अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान चालान द्वारा कोषालय में जमा करना होगा । वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप के अनुरूप यद्यपि राशि शासकीय खाते में जमा हो रही थी किन्तु यह राशि फण्ड मैनेजर को नहीं प्रेषित की जा रही थी । अतः प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 2005 के अभिदाताओं हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23.11.2013 को जारी परिपत्र के अनुसार सी.एफ.एम.एस. में ही नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 2005 के कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अभिदाता का अंशदान तथा समतुल्य नियोक्ता अंशदान फण्ड मैनेजर को उपलब्ध कराया जा सके ।

13.4. मिसिंग क्रेडिट हेतु व्यवस्था :–

नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के अंतर्गत कई कर्मचारियों के कोषालय के माध्यम से वेतन आहरण के प्रकरणों में अंशदान के कटौत्रे कर्मचारियों के प्रान में नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं । ऐसे अभिदाताओं का जिनमें वेतन का आहरण कोषालयों द्वारा किया गया परन्तु उनका बकाया कटौत्रे अभी भी उनके प्रान क्रमांक में क्रेडिट नहीं हुये हैं उनके लिये वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23.11.2013 के परिपत्र द्वारा मिसिंग कटौत्रों को जमा करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है ।

13.5. त्रुटिपूर्ण एनपीएस कटौत्रा को जीपीएफ. में समायोजन की प्रकिया :–

पी.एफ.आर.डी.ए. (पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण) के परिपत्र क्रमांक/2013/2.एसएल–1 दिनांक 22 जनवरी 2013 के अनुक्रम में ऐसे अभिदाता जिनका नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 2005 के तहत कटौत्रा किया जा रहा है एवं वास्तव में वह इस योजना के सदस्य नहीं है, को नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना 2005 के अंतर्गत कटौत्रे की राशि को अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा राज्य शासन के अंश को राज्य शासन के खाते में जमा किए जाने हेतु आदेश वित्त विभाग द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 11.12.2013 द्वारा जारी किए गए हैं।

13.6. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु एनपीएस का कियान्वयन :–

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ–9–9/13/नियम/चार दिनांक 17 जनवरी 2014 द्वारा म.प्र. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए नियम 8 अनुसार राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम लागू किया गया है । इन कर्मचारियों के प्रान जनरेशन हेतु एस–1 फार्म जनरेशन एवं वेतन जनरेशन की सुविधा सी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर पर प्रदान की गयी है । साथ ही आन लाईन प्रान जनरेशन अंतर्गत सी.एफ.एम.एस. में कोषालय तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर इम्पलाई कोड एवं प्रान फार्म्स (एस–1, एस–5 एवं एस–6) जनरेट करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है ।

13.7 वित्तीय अधिकारों की नवीन पुस्तिका का प्रकाशन वर्ष–2012 में किया जाकर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण एवं सरलीकरण किया गया।

13.8 New Item में संशोधन संबंधी विषयः–

प्रकरण में मंत्रिपरिषद् से अनुमोदन उपरान्त प्राक्कलन समिति की अनुसंशा से नवीन मदो की सीमा संशोधित की जा चुकी है। यह संशोधन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1242/आर/601/12/बी–1/चार दिनांक 30.09.2013 द्वारा जारी किया जा चुका है।

13.9 केन्द्रीयकृत बजट आबंटन प्रणाली :–

बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ बजट आबंटन की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए केन्द्रीयकृत बजट आबंटन प्रणाली लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में यह अधिकार प्रशासकीय विभाग को सौपे गये है। प्रशासकीय विभाग अपनी सुविधा अनुसार स्कीमवार, उद्देश्य शीर्षवार या विस्तृत शीर्षवार बजट को इस प्रणाली में शामिल कर सकते है।

13.10 मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में उपकोषालय की स्थापना :–

मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में उपकोषालय की स्थापना दिनांक 29.03.2014 को गई।

13.11 राज्य वित्त आयोग का गठन :–

दिनांक 28.01.2012 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। जिसमें आयोग को पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने का दायित्व सौपा गया है।

अध्याय–14

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश

01. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि नियम,1957 नवीन
02. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि संशोधन अधिनियम,2011
03. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम,1973
04. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम,1974
05. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की संपरीक्षा प्रक्रिया तथा नियमावली 2008
06. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा विभागीय नियमावली 1981
07. मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम,1987
08. मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) नियम, 1988
09. मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम,2000
10. मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम, 2003
11. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम,2000
12. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड स्कीम,2001
13. मध्यप्रदेश लॉटरी प्रतिबंध अधिनियम,1993
14. The lotteries (Regulation) Act 1998
15. The State Financial Corporation Act 1951 (केन्द्र शासन का अधिनियम)
16. Madhya Pradesh Financial Corporation Act 1951
17. Madhya Pradesh Financial Corporation Provident Fund Regulation 1965
18. Madhya Pradesh Financial Corporation (staff) Regulation 1958
19. मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005
20. मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2009
21. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम,1981
22. मध्यप्रदेश सरकार प्रतिभूति नियम,2009 नवीन
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976
24. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1977
25. मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता
26. मध्य प्रदेश कोषालय संहिता
27. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम
28. वेतन निर्धारण नियम
29. मध्यप्रदेश मूलभूत नियम भाग–1 एवं भाग–2
30. वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका

अध्याय–15

सारांश

15.1 वित्त विभाग व्दारा राज्य के आय–व्यय का बजट तैयार करने, वित्तीय प्रबंधन, आय के नये स्त्रोतों को तलाशने, शासकीय व्यय में बचत के उपाय करने संबंधी कार्यो के लिये विभाग में 9 बजट शाखाएं (ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ सहित) है, जिनमें विभागावार बजट का कार्य आवंटित है। कार्य के शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से सचिवों को विभागवार दायित्व सौंपा गया है। नई योजनाओं के अनुमोदन तथा पुरानी योजनाओं के पुनरीक्षण कार्य के लिये तीन स्थायी वित्तीय समितियॉ गठित की गई हैं। वित्त विभाग व्दारा बनाये गये नियमों/अधिनियमों से संबंधित कार्य, नियम शाखा में एवं विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्षों के स्थापना संबंधी कार्य स्थापना शाखा में संपादित किया जाता है।

15.2 संचालनालय,कोष एवं लेखा भोपाल में स्थित है। संचालनालय की मुख्य गतिविधियॉ राजकोष प्रशासन का नियंत्रण पेंशन एवं वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, मध्यप्रदेश वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं का प्रबंधन है। प्रदेश में 56 जिला कोषालय, 156 उपकोषालय हैं, 07 संभागीय कार्यालय एवं 07 लेखा प्रशिक्षण शालाएं कार्यरत हैं। संचालनालय व्दारा कोषालयों, उपकोषालयों एवं संभागीय संयुक्त संचालकों, कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यो के कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी हैं।

15.3 संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। संचालनालय व्दारा स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं तथा ग्राम पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संपादित की जाती है।

15.4 संचालनालय,संस्थागत वित्त भोपाल में स्थित है। संचालनालय व्दारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लाभ हेतु भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड व्दारा प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वय का कार्य निर्वहन कर, पर्याप्त संस्थागत वित्त सुलभ कराना है। इसके अतिरिक्त यह संचालनालय विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं एवं जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं हेतु नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है।

15.5 संचालनालय, पेंशन को विभागाध्यक्ष का दर्जा दिया जाकर पेशनर्स की समस्याओं के निराकरण, पेंशन कार्य के अंकेक्षण, पेंशन कल्याण के कार्यो का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 3135/3118/08/ई/चार, दिनांक 01.10.2008 द्वारा पेंशन संचालनालय का नाम परिवर्तित कर ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' किया गया है। **''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा''** को पेंशन कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया हैं।

15.6 संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल में स्थित है। संचालनालय व्दारा बजट कार्य को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जाता है। वार्षिक बजट संबंधी अन्य आवश्यक सूचनायें भी उपलब्ध कराई जाती है। संचालनालय व्दारा वित्त विभाग की वेबसाईट भी विकसित की गई है। इस वेबसाईट पर विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विधानसभा में प्रस्तुत किये गये मुख्य बजट की जानकारी उपलब्ध है।

15.7 विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश वित्त निगम संचालित है। निगम का मुख्यालय इंदौर में है। निगम व्दारा प्रदेश में औद्योगिकीकरण को गतिशील बनाने के उददेश्य से कार्य–मियादी ऋण प्रदान करने के साथ–साथ व्यवसाय के विविध क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जाता है। निगम व्दारा शासन की नीति के अनुरूप अपने कार्यकलापों के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन आदि पर विशेष बल दिया गया है।

15.8 विभाग के अंतर्गत दि प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी है, जिसका मुख्यालय मुम्बई में है। कम्पनी का मुख्य कार्य पूंजीनिवेश कर लाभ कमाना है। कम्पनी की सम्पत्ति महाराष्ट्र के अतिरिक्त केरल राज्य में भी है। यह कम्पनी निरंतर लाभ में चल रही है।

भाग–दो

बजट एक दृष्टि में

भाग–तीन

सामान्य प्रशासनिक विषय

भाग–चार

अभिनव योजना नवाचार

भाग पांच

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम एवं नियम/विधायी आदेश

भाग—छः

विविध